वार्षिक रिपोर्ट

2019-2020

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनसिल)

अंतरिक्ष विभाग (अं.वि) के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सी.पी.एस.ई.)

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनसिल)
अंतरिक्ष विभाग के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम

वार्षिक रिपोर्ट
2019-20

विषय वस्तु

अध्यक्ष का भाषण	5
दूरदर्शिता	8
मिशन	8
निदेशक मंडल	9
समितियाँ	9
बैंकर्स	10
लेखा परीक्षक	10
अधिवक्ता एवं न्यायाभिकर्ता	10
कम्पनी सचिव	10
निदेशकों की रिपोर्ट	11
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	33
सी.ए.जी. रिपोर्ट	41
तुलन पत्र	42
लाभ एवं हानि का विवरण	43
नकद प्रवाह विवरण	44
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले नोट	45
वित्तीय विवरणों के भाग बनने वाले अन्य नोट	59

निदेशक मंडल

श्री जी. नारायणन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री राधाकृष्णन दुरैराज
कार्यकारी निदेशक

डॉ. वेंकिटाकृष्णन पी. वी.
निदेशक (इसरो द्वारा नामित)

श्री आर. उमामहेश्वरन
निदेशक (इसरो द्वारा नामित)

श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा
निदेशक (सरकार द्वारा नामित)

अध्यक्ष का भाषण

देवियों और सज्जनों,

मुझे आप सब का कंपनी के प्रथम वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.) में स्वागत करते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इस बैठक का माहौल सामान्य स्थिति से अलग हो सकता है, तथापि, न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के निदेशकों के बोर्ड की ओर से अपना समय निकाल कर इस बैठक में आप शामिल होने के लिए मैं आप सब के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ।

इस रिपोर्ट का वर्ष अर्थात वर्ष 2019-20 भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक तथा एक महान दूरदर्शी डॉ. विक्रम ए. साराभाई के जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया एवं मौजूदा वर्ष अर्थात वर्ष 2020-21 एक महान नायक प्रो. सतीश धवन, जिन्होंने इसरो के जनक की दूरदर्शिता को एक उत्कृष्ठ संगठन का रूप प्रदान किया, जिसने पूरे विश्व को चकित कर दिया, उनकी जन्म शताब्दी के रूप में मनाया जा रहा है। मैं इन दोनों महान आत्माओं की याद में श्रद्धा से सिर झुकाता हूँ।

वास्तव में, कंपनी के इस प्रथम ए.जी.एम. के मौके पर एवं प्रथम बार कंपनी के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक की हैसियत से भी आप सभी को संबोधित करने में गर्व महसूस हो रहा है। मुझ पर विश्वास करने तथा मेरे कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को पूरा करने में लगातार अपना प्रोत्साहन, मार्गदर्शन तथा सहयोग प्रदान करने के लिए मैं आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ।

एनसिल की टीम की अगुवाई करना मेरा सौभाग्य रहा। मुझे इस बात की जानकारी है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एवं अंतरिक्ष विभाग में आज तक कार्यरत सभी के अथक समर्पित प्रयासों तथा सरकार से प्राप्त मूल्यवान सहायता के परिणामस्वरूप आज यह कंपनी इस सर्वश्रेष्ठ स्थान पर पहुँच पाई है।

भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से उत्पन्न उत्पादों एवं सेवाओं का वाणिज्यिक दोहन करने एवं घरेलू तथा वैश्विक ग्राहकों की सेवा करने के साथ-साथ, प्रौद्योगिकी अंतरण कार्यविधियों के माध्यम से अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादन आधार में बढ़ोत्तरी करने हेतु भारतीय उद्योगों की सहायता करने के अधिदेश के साथ 6 मार्च 2019 को इस कंपनी का गठन किया गया।

अपने गठन के कुछ महीनों के बाद ही इस कंपनी ने सफलतापूर्वक अपने कार्यों की शुरुआत की तथा 31,644 लाख भारतीय रुपए का व्यापार किया और 5,129 लाख भारतीय रुपए का लाभ हासिल किया।

इस कंपनी के कार्य अपने अधिदेश को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। तथापि, कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण इसकी गति थोड़ी धीमी हो गई। वित्त वर्ष 2020-21 में कुछ महीनों के अवरोध के बाद, यह टीम अपने अधिदेश को पाने की ओर कार्यरत है।

अनुसूची - क वर्ग

6 फरवरी 2020 के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ.सं. 9(8) 2019-एम.जी.एम.टी. के जरिए कंपनी को सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.) द्वारा अनुसूची 'क' सी.पी.एस.ई. के रूप में वर्गीकृत किया गया।

वित्तीय वर्ष 2019- 20 में व्यापार उपलब्धियाँ

वर्ष के दौरान, एनसिल ने अपने व्यापारिक प्रचालनों में आधारभूत उन्नति की तथा इसने नई व्यापार गतिविधियाँ भी शुरू की। इसकी कुछ व्यापारिक उपलब्धियाँ हैं:

- **भारतीय उद्योग संघ प्रस्ताव के जरिए पी.एस.एल.वी. उत्पादन**
    - एनसिल ने भारतीय उद्योग/उद्योगों के जरिए पी.एस.एल.वी. उत्पादन के लिए रुचि अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) जारी किया तथा जवाब प्राप्त किया। अगले चरण के रूप में, पक्षकारों की संक्षिप्त सूची तैयार करना तथा संक्षिप्त सूची वाले पक्षकारों को आर.एफ.पी. जारी करने का कार्य चल रहा है।

- **पी.एस.एल.वी. तथा एस.एस.एल.वी. की ऑन-बोर्ड प्रमोचन सेवाएं**
    - इस अवधि में एनसिल ने पी.एस.एल.वी.-सी47 तथा पी.एस.एल.वी.-सी48 के ऑनबोर्ड कुल 22 ग्राहक उपग्रहों का प्रमोचन किया।
    - पी.एस.एल.वी. तथा एस.एस.एल.वी. के ऑनबोर्ड ग्राहक उपग्रहों का प्रमोचन करने के लिए 15 प्रमोचन सेवा करार हस्ताक्षरित किये गए, जैसे तीन समर्पित प्रमोचन सेवा करार तथा बारह सहयात्री प्रमोचन सेवा करार

- **सैटकॉम सेवाएं**
    - एनसिल ने दिसंबर 2019 में तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 तक प्रेषानुकर पट्टा व्यापार क्रियाकलाप शुरू कर दिया था तथा दो डी.टी.एच. (डाइरेक्ट-टू-होम) प्रचालकों तथा एक डी.एस.एन.जी. (डिजिटल सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग) प्रचालक को प्रेषानुकर क्षमता दिलवाया।

- **अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए उपग्रह निर्माण**
    - एनसिल इसरो की विशेषज्ञता तथा अवसंरचना का उपयोग कर अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए उपग्रह निर्माण कार्य करने का इच्छुक है। इसके लिए एनसिल अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को प्रौद्योगिकी वाणिज्यिक प्रस्ताव प्रस्तुत कर चुका है, जिनमें निम्नलिखित शामिल है: (i) संचार उपग्रह तथा भू-प्रेक्षण उपग्रह निर्माण (ii) उपग्रह बस प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना (iii) प्रमोचन सेवाएं उपलब्ध कराना; (iv) भू तथा प्रयोक्ता खंड स्थापित करना।

- **सुदूर संवेदन सेवाएं**:
    - वर्ष के दौरान, एनसिल ने कर्नाटक सरकार के लिए सुदूर संवेदन परामर्श अध्ययन परियोजना साकार की।

- **मिशन सहायता सेवाएं**
    - इसरो के भू-स्टेशनों का उपयोग करते हुए एनसिल, दूरमिति एवं दूर आदेश (टी.टी.सी.) सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक उपग्रह स्वामियों/प्रचालकों को सेवा प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में एनसिल ने प्रमोचक रॉकेट तथा उपग्रह अंत:क्षेपण के लिए एक मिशन सहायता उपलब्ध कराई।

- **प्रौद्योगिकी अंतरण एवं तकनीकी परामर्श सेवाएं**
    - एनसिल विभिन्न भारतीय उद्योग साझेदारों को विभिन्न इसरो केंद्रों/यूनिटों से अंतरिक्ष उत्पादों के प्रौद्योगिकी के अंतरण को समर्थ बनाने की क्रियावली के प्रचालन पर कार्य कर रहा है।
    - तकनीकी परामर्श सेवाओं की दिशा में, एनसिल ने उनके अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए अगले/आगामी उपग्रहों को निर्धारित करने हेतु एक अंतरराष्ट्रीय ग्राहक के रुचि अभिव्यक्ति का जवाब प्रस्तुत किया। प्रक्रिया के अगले चरण के लिए एनसिल को शार्टलिस्ट किया गया है।

कार्पोरेट शासन

कंपनी का विश्वास है कि यदि सभी हितधारकों का ध्यान रखा जाता है, तो यह (कंपनी) व्यवसाय जोखिमों का सामना कर सकती है तथा उन्नति को कायम रख सकती है। सभी हितधारकों का समावेशी विकास करने के लिए यह (कंपनी) पारदर्शिता, ईमानदारी, विश्वसनीयता, जवाबदेही, कानून का अनुपालन, प्राविधियों तथा नैतिक मानकों की पूर्ति आदि को बनाए रखती है।

कंपनी कार्पोरेट शासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.) के दिशानिर्देशों का पालन कर रही है।

हालांकि, कार्पोरेट शासन की आवश्यकताओं में से एक, निदेशकों के रिक्त पदों को भरे जाने का कार्य सरकारी स्तर पर चल रहा है।

कार्पोरेट शासन अनुपालनों पर रिपोर्ट को बोर्ड की रिपोर्ट का एक भाग बनाया गया है।

कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.)

समीक्षाधीन वर्ष प्रचालनों का पहला वर्ष था तथा इसके लिए सी.एस.आर. क्रियाकलाप अनिवार्य नहीं हैं। कंपनी वित्तीय वर्ष 2020-21 से सी.एस.आर. क्रियाकलाप प्रारंभ करेगी।

लाभांश

दिनांक 27.05.2016 के एफ.सं. 5/2/2016 - नीति के जरिए निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डी.आई.पी.ए.एम.), भारत सरकार के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार बोर्ड प्रत्येक शेयर पर रु. 15.40 लाभांश की अनुशंसा कर रहा है, जोकि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 1000 लाख रुपए की अदा की गई पूँजी पर 1540 लाख रुपए हो जाएगा।

आभार

यह आपका सहयोग तथा मार्गदर्शन है, जो 'मेक इन इंडिया' तथा 'आत्मनिर्भर भारत' के हमारे नारे से प्रेरित होकर 'इण्टरप्राइज ऑफ टुमॉरो' के रूप मं एक मूल्यवान राष्ट्रीय संस्था के निर्माण को जारी रखने के लिए हमें प्रेरित करता है। हमारे इस दिशा में लगातार बढ़ते रहने के लिए मैं आपके विश्वास तथा उदार समर्थन के लिए हमारे मूल्यवान हितधारकों को धन्यवाद देता हूँ।

कंपनी उन अनेक घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत है, जिनसे हमने अत्यंत सद्भावना तथा सहयोग प्राप्त किया है।

मैं इस अवसर पर अंतरिक्ष विभाग तथा इसरो को उनके निरंतर सहयोग के लिए आभार प्रकट करता हूँ।

मैं सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.), महालेखापरीक्षा निदेशक, पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग, सी. एण्ड ए.जी., संवैधानिक लेखापरीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षकों, बैंकरों, विधिक सलाहकारों, सहयोगियों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं तथा अन्य ऐजेंसियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ तथा हमारी उपलब्धियों में उनके योगदानों के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं बोर्ड के अपने सहकर्मियों के मूल्यवान मार्गदर्शन के लिए अनुग्रहीत हूँ। मैं कंपनी के कर्मचारियों के सभी स्तरों पर असीम योगदान तथा समर्पण के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।

(नारायणन जी.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दूरदर्शिता

"वैश्विक ग्राहकों के लिए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से उत्पन्न अंतरिक्ष संबंधी उत्पादों एवं सेवाओं को मुहैया कराने में उत्कृष्ट बनना तथा प्रौद्योगिकी रूप से चुनौतीपूर्ण अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों का उत्तरदायित्व लेने में भारतीय उद्योग की वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करना"

मिशन

"प्रौद्योगिकी अंतरण प्रक्रियाओं के माध्यम से अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए उच्च-प्रौद्योगिकी निर्माण आधार को बढ़ाने हेतु भारतीय उद्योगों को सक्षम बनाना, विभिन्न देशी एवं अंतरराष्ट्रीय आवश्यकताओं हेतु उदीयमान वैश्विक वाणिज्यिक लघु उपग्रह प्रमोचन सेवा बाजार, उपग्रह सेवाओं की पूर्ति करना तथा अंतरिक्ष अंतरापृष्ठ के माध्यम से मानवजाति की भलाई हेतु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उप-उत्पादों को सक्षम बनाना"

निदेशक मंडल

प्रकार्यात्मक/पूर्णकालीन निदेशक

श्री नारायणन जी., अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31.01.2020 से)

श्रीमती सुमा देवकी राम, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31.01.2020 तक)

श्री राधाकृष्णन दुरैराज, निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति)

अंशकालिक पदाधिकारी/ सरकारी निदेशक:

श्री कुमारास्वामी एस., भा.प्र.से., संयुक्त सचिव, अं.वि. (29.03.2019 तक) -पदेन निदेशक के तौर पर

श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा, भा.प्र.से., संयुक्त सचिव, अं.वि. (07.02.2020 से)

इसरो द्वारा नामित निदेशक :

डॉ. वेंकिटाकृष्णन पी.वी., निदेशक - सी.बी.पी.ओ. - इसरो मु.

श्रीमती अनुराधा टी.के., निदेशक (सैटकॉम-पी.ओ.), इसरो मु. (30.04.2020 तक)

श्री उमामहेश्वरन आर., वैज्ञानिक सचिव, इसरो मु. (22.06.2020 से)

प्रबंधन टीम

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	-	श्री नारायणन जी. (31.01.2020 से)
	-	श्रीमती सुमा देवकी राम (31.01.2020 तक)
निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति)	-	श्री राधाकृष्णन दुरैराज
कार्यकारी निदेशक	-	श्री अरुणाचलम ए. (14.06.2019 से)

बोर्ड की समितियाँ

(08.10.2020 तक)

लेखापरीक्षा समिति

श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा - अध्यक्ष

डॉ. वेंकिटाकृष्णन पी.वी.

श्री राधाकृष्णन दुरैराज

पारिश्रमिक समिति

श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा - अध्यक्ष

श्री उमामहेश्वरन आर.

डॉ. वेंकिटाकृष्णन पी.वी.

सी.एस.आर. समिति

डॉ. वेंकिटाकृष्णन पी.वी. - अध्यक्ष

श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा

श्री उमामहेश्वरन आर.

श्री राधाकृष्णन दुरैराज

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक,
डॉलर कॉलोनी शाखा,
न्यू बी.ई.एल. रोड,
बेंगलूरु - 560 054

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक,
8वाँ मेन,
मल्लेश्वरम,
बेंगलूरु

लेखा परीक्षक

मेसर्स पॉल एवं शानभोग,
चार्टर्ड एकाउन्टेंट,
24, चौथा मेन रोड,
मल्लेश्वरम,
बेंगलूरु - 560 003

अधिवक्ता एवं न्यायाभिकर्ता

मेसर्स किंग स्टब एवं कसीवा,
शाखा कार्यालय:
1ए., लाविल्ले मेंशन,
½ लाविल्ले रोड,
बेंगलूरु - 560 001

कम्पनी सचिव

बी.आर.के.एस. एवं एसोसिएट्स

एनसिल कार्पोरेट भवन का उद्घाटन डॉ. के. कस्तूरीरंगन (पूर्व सचिव, अं.वि./अध्यक्ष, इसरो) द्वारा किया गया।
डॉ. शिवन, सचिव, अं.वि./अध्यक्ष, इसरो एवं अंतरिक्ष आयोग और डॉ. पी. एस. गोयल (पूर्व सचिव, भू-विज्ञान मंत्रालय) भी इस मौके पर उपस्थित थे

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में
सदस्य गण
न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड
बेंगलूरु

वित्त वर्ष 2019-20 (6 मार्च 2019 से 31 मार्च 2020 तक) के लिए लेखा परीक्षा किये गये वित्तीय विवरणों सहित आपकी कंपनी के व्यापार तथा प्रचालनों पर पहली वार्षिक रिपोर्ट को आपके समक्ष प्रस्तुत करने में वास्तव में हर्ष का अनुभव हो रहा है।

व्यापार की समीक्षा

इस कंपनी का सृजन भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से उत्पन्न उत्पादों तथा सेवाओं का वाणिज्यिक रूप से दोहन करने तथा घरेलू एवं वैश्विक उपभोक्ताओं की सेवा करने के साथ-साथ प्रौद्योगिकी अंतरण प्रणालियों के माध्यम से अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादन आधार का उन्नयन करने हेतु भारतीय उद्योगों की सहायता करने के लिए किया गया है। इस कंपनी के अधिदेश निम्नानुसार है:

1. उद्योग को इसरो की लघु उपग्रह प्रौद्योगिकी का अंतरण करना;
2. निजी क्षेत्रों की सहभागिता से लघु उपग्रह प्रमोचक रॉकेट (एस.एस.एल.वी.) का उत्पादन करना;
3. उद्योग के माध्यम से ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक रॉकेट (पी.एस.एल.वी.) का उत्पादन करना;
4. प्रमोचन तथा अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोगों सहित अंतरिक्ष आधारित सेवाओं का उत्पादन तथा विपणन करना
5. इसरो केंद्रों तथा अंतरिक्ष विभाग के संघटक संस्थानों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी का अंतरण करना
6. इसरो की गतिविधियों से उत्पन्न उत्पादों/सेवाओं एवं स्पिन ऑफ प्रौद्योगिकियों का विपणन करना

व्यापार प्रचालनों पर और अधिक विस्तृत ब्यौरा प्रबंधन चर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट में प्रदान किया गया है।

वित्तीय सार / मुख्य अंश

इस कंपनी ने प्रथम वर्ष से ही अपने प्रचालनों की शुरुआत की है। इसने 31,644 लाख रुपए का कारोबार तथा 5,129 लाख का मुनाफा प्राप्त किया है। इसके मुख्यांश निम्नलिखित हैं:

ब्यौरे	वित्त वर्ष 19-20 के लिए (रु. लाख में)	वित्त वर्ष 18-19 के लिए (रु. लाख में)
घरेलू कारोबार	3,293.18	लागू नहीं
निर्यात कारोबार	28,351.09	
अन्य आय	514.87	
कुल राजस्व	32,159.14	
कुल व्यय	25,302.13	
लाभ/ हानि (कर पूर्व)	6,857.01	
कर	1,727.56	
लाभ/ हानि (करोत्तर)	5,129.45	
इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश	1,540.00	
सामान्य/आरक्षित/निधि में अंतरण	शून्य	

लाभांश

भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में, निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के दिनांक 27.05.2016 के एफ. सं. 5/2/2016 के अनुसार, शेयरधारियों के अनुमोदन के लिए वित्त वर्ष 2019-20 हेतु 1000 लाख भारतीय रुपए की भुगतान की गई पूंजी पर 1540 लाख भारतीय

रुपए तक की प्रति शेयर पर बोर्ड द्वारा 15.40 लाख भारतीय रुपए के लाभांश की सिफारिश की गई। इसमें कोई लाभांश वितरण कर शामिल नहीं है। इससे 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए करोत्तर 30% तथा भुगतान की गई पूंजी का 154% स्थानांतरित किया जाएगा।

आरक्षित निधियां

यह बोर्ड सामान्य आरक्षित निधियों में लाभों को अंतरित करने की सिफारिश नहीं करती है।

व्यापार की प्रकृति में परिवर्तन

6 मार्च 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के दौरान व्यापार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं है।

वास्तविक / महत्वपूर्ण परिवर्तन

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, कोई तात्विक अथवा महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए हैं।

विनियामकों द्वारा पारित आदेश

सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डी.पी.ई.) द्वारा 6 फरवरी 2020 को जारी कार्यालय ज्ञापन सं. एफ.सं. 9(8) 2019-एम.जी.एम.टी. द्वारा एनसिल को अनुसूची 'क' सी.पी.एस.ई. के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

अग्रिम निर्णय आवेदन के माध्यम से एनसिल द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर कर्नाटक में माल तथा सेवा कर में अग्रिम निर्णय के लिए प्राधिकार का दिनांक 31.03.2020 का अग्रिम निर्णय सं. के.ए.आर./ए.डी.आर.जी./19/2020 द्वारा, सैक 997319 के तहत शामिल उपग्रह प्रेषानुकरों को पट्टे पर देने की सेवा के बारे में यह नियम पारित किया कि जैसा कि मामला हो, इस पर 5% आई.जी.एस.टी. (सी.जी.एस.टी. का 2.5% तथा एस.जी.एस.टी. का 2.5%) की दर से कर लागू होगा।

सहायक कंपनियां/ संयुक्त उद्यम

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, इस कंपनी की कोई भी सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम अथवा संबंध कंपनी नहीं है।

जमा

इस कंपनी ने अब तक कोई भी जमा स्वीकार नहीं की, अब तक के तुलन पत्र में मूल अथवा ब्याज की कोई भी राशि बकाया नहीं है।

ऋण, गारंटियां एवं निवेश

इस कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार का ऋण, गारंटी अथवा निवेश नहीं किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के पास प्रभावी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है। मेसर्स रमेश अश्विन एवं कारंत नामक चार्टड एकाउंटेंटों को रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्य सौंपा गया था। इससे प्रणालियों एवं नियंत्रणों की पर्याप्तता सुनिश्चित करने में सहायता मिली। इनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की बोर्ड द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षा समिति द्वारा बाद में समीक्षा की गई। की गई सुधारात्मक कार्रवाई सहित आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई। इस लेखा परीक्षा समिति द्वारा आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता तथा प्रभावकारिता की भी समीक्षा की गई।

शेयर पूंजी

वर्तमान में कंपनी की प्राधिकृत पूंजी 1,00,00,00,000 भारतीय रुपये (मात्र सौ करोड़ रुपए) है, जिसे 10 भारतीय रुपये मूल्य के पूर्णतया दत्त प्रत्येक के 10,00,00,000/- इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया है।

वर्तमान में कंपनी की कुल जारी तथा दत्त पूंजी 10,00,00,000/- भारतीय रुपये है (मात्र दस करोड़ रुपये), जिसे पूर्ण रूप से दत्त 10 भारतीय रुपये के 1,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया है।

आऊटसोर्सिंग

आवश्यकताओं तथा गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर कंपनी भारतीय उद्योगों को कार्य आऊटसोर्स करती है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एम.एस.ई.एस.) से प्रापण

इस कंपनी का प्रमुख कार्य है इसरो के अंतरिक्ष उत्पादों तथा सेवाओं का विपणन तथा परियोजना प्रबंधन करना। सीमित कार्य क्षेत्र से, इस कंपनी ने एम.एस.ई.एस. से 89,16,607 रुपये तक के माल/ सेवाओं का प्रापण किया है।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.)

समीक्षा का यह वर्ष प्रचालनों का प्रथम वर्ष था एवं सी.एस.आर. गतिविधियों को करना अनिवार्य नहीं था। यह कंपनी वित्त वर्ष 2020-21 से सी.एस.आर. गतिविधियों का आरंभ करेगी।

संबंधित पक्षकारों के साथ संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं का विवरण

यह कंपनी अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। साथ ही, कंपनी के वर्तमान कर्मचारी अं.वि. / इसरो से हैं, जो कार्य व्यवस्था पर कार्यरत हैं तथा उनकी परिलब्धियों का भुगतान अं.वि./इसरो द्वारा किया जाता है।

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी ए.एस.-18 के अनुसार, संबंधित पक्षकार के लेन-देन का प्रकटन वित्त वर्ष 2019-20 के लिए वित्तीय विवरणों के भाग बनने वाली टिप्पणियों के टिप्पण सं. 8 में प्रस्तुत किया गया है।

मानव संसाधन विकास

इस कंपनी के प्रचालनों का प्रबंधन अं.वि./ इसरो द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारियों द्वारा जा रहा था। वर्तमान वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी अपने वेतन-पंजी पर मानवशक्ति की भर्ती करेगी। भर्ती के दौरान, कंपनी आरक्षण के नियमों का अनुपालन करेगी।

लेखा परीक्षक

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) के दिनांक 07.08.2019 के पत्र सं. सं./सी.ए.V/सी.ओ.वाई./केंद्र सरकार, एनसिल (1)468 के अनुसार, मेसर्स पॉल एवं शानभोग, चार्टर्ड एकाउंटेंट, बेंगलूरु को वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट की गई जालसाजी

वर्ष 2019-20 के दौरान, लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी प्रकार की जालसाजी की रिपोर्ट नहीं दी गई।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणी एवं स्पष्टीकरण

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए लेखा परीक्षकों के द्वारा उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कोई भी अर्हता, आरक्षण, प्रतिकूल अभ्युक्ति अथवा अस्वीकरण नहीं था।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक लेखा पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को इस रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है।

निदेशक एवं बोर्ड की बैठकें

कंपनी के प्रथम निदेशक के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को शामिल करते हुए कंपनी की शुरुआत की गई:

1. श्री राधाकृष्णन दुरैराज
2. श्रीमती सुमा देवकी राम

निम्नलिखित पदाधिकारियों को 8 मार्च 2020 को आयोजित प्रथम बोर्ड बैठक में पदेन निदेशकों के रूप में नियुक्त किया गया:

श्री एस. कुमारस्वामी, संयुक्त सचिव, अं.वि.
डॉ. पी.वी. वेंकिटाकृष्णन, निदेशक, सी.बी.पी.ओ., इसरो मु.
श्रीमती टी.के. अनुराधा, निदेशक, सैटकॉम, इसरो मु.

31.01.2020 को श्रीमती सुमा देवकी राम से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार ग्रहण करते हुए श्री नारायणन

8 मार्च 2020 को आयोजित अपनी प्रथम बोर्ड बैठक में श्रीमती सुमा देवकी राम को अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में तथा राधाकृष्णन दुरैराज को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया। बाद में, 23 अगस्त 2019 को आयोजित चौथी बोर्ड बैठक में, बोर्ड ने श्री राधाकृष्णन दुरैराज के पदनाम को निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति) के रूप में बदलने हेतु अनुमोदन प्रदान किया।

इस अवधि के दौरान निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

- श्री एस. कुमारास्वामी का स्थानांतरण हुआ तथा श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा ने संयुक्त सचिव, अं.वि. का पदभार संभाला एवं उन्होंने पदेन निदेशक का पद धारण किया।
- श्रीमती सुमा डी.आर. की अं.वि./ इसरो की सेवाओं से सेवानिवृत्ति के बाद 31 जनवरी 2020 से वे कंपनी की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भी नहीं रहीं।
- अंतरिक्ष विभाग के दिनांक 30 जनवरी 2020 के पत्र सं.ए.11014/3/2019-I के अनुसार श्री नारायणन जी को अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के पद पर नामित किया गया तथा उन्हें 31 जनवरी 2020 से अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया।
- साथ ही, अंतरिक्ष विभाग के दिनांक 7 फरवरी 2020 के आदेश सं. डी.एस. 5-24011/2/2019-अनुभाग-5-अं.वि. के अनुसार निम्नलिखित पदाधिकारियों को मनोनीत निदेशकों के रूप में नियुक्त किया गया:

- श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा, संयुक्त सचिव, अं.वि.: सरकारी मनोनीत निदेशक
- श्रीमती टी.के. अनुराधा, निदेशक, सैटकॉम-कार्यक्रम कार्यालय, इसरो मु.: इसरो मनोनीत निदेशक
- डॉ. पी. वी. वेंकिटाकृष्णन, निदेशक, सी.बी.पी.ओ., इसरो मु: इसरो मनोनीत निदेशक

तदनुसार, 31 मार्च 2020 से बोर्ड में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

- श्री नारायणन जी - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- श्री डी. राधाकृष्णन - निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति)
- श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा, संयुक्त सचिव, अं.वि.: सरकारी मनोनीत निदेशक
- श्रीमती टी.के. अनुराधा, निदेशक, सैटकॉम-कार्यक्रम कार्यालय, इसरो मु.: इसरो मनोनीत निदेशक
- डॉ. पी. वी. वेंकिटाकृष्णन, निदेशक, सी.बी.पी.ओ., इसरो मु: इसरो मनोनीत निदेशक

यह बोर्ड कंपनी के निदेशकों के तौर पर श्रीमती सुमा डी.आर., श्रीमती अनुराधा टी.के., श्री कुमारस्वामी द्वारा प्रदान की गई मूल्यवान सेवाओं की प्रशंसा करती है।

बोर्ड बैठकें

इस वर्ष के दौरान छह बोर्ड बैठकें अर्थात् 08 मार्च 2019 को, 22 मार्च 2019 को, 11 अप्रैल 2019 को, 23 अगस्त 2019 को, 19 दिसंबर 2019 को तथा 30 जनवरी 2020 को आयोजित की गई।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	बैठकों की संख्या, जिनमें निदेशक उपस्थित रहने हेतु हकदार थे*	कितनी बैठकों में उपस्थित रहें
1	श्री राधाकृष्णन दुरैराज	6	6
2	सुश्री सुमा देवकी राम	6	6

* कंपनी की शुरुआत 06 मार्च 2019 को की गई थी। पदेन निदेशकों की उपस्थिति की रिपोर्ट यहां नहीं दी गई है।

निदेशकों की नियुक्ति तथा परिलब्धियों पर कंपनी की नीति:

यह कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसके निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल तथा परिलब्धियों (सी.एम.डी. सहित प्रकार्यात्मक निदेशकों) का निर्धारण अंतरिक्ष विभाग के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किया जाएगा, जिसमें नियुक्ति की अवधि तथा अन्य शर्तें एवं निबंधन शामिल होंगे।

सरकारी/इसरो द्वारा मनोनीत निदेशक अंतरिक्ष विभाग द्वारा नियुक्त किए जाएंगे तथा वे किसी भी प्रकार की परिलब्धियों/ बैठकों में शामिल होने की फीस हेतु हकदार होंगे।

गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशकों को भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा तथा वे संवैधानिक नियमों एवं विनियमों के अनुपालन में बोर्ड द्वारा निर्धारित अनुसार बोर्ड/ समिति की बैठकों में उपस्थित रहने हेतु फीस के हकदार नहीं होंगे।

यह कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशक की नियुक्ति तथा परिलब्धि, जिसमें अर्हता आदि को निर्धारित करने के लिए मानदंड शामिल है, पर नीति निर्धारण हेतु आवश्यकता दिनांक 05 जून 2015 के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एम.सी.ए.) की अधिसूचना सं.जी.एस.आर.463 (ई.) के अनुसार होना जरूरी नहीं है।

बोर्ड तथा इसकी समितियों एवं व्यक्तिगत निदेशकों का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 05 जून 2015 को जारी किए गए अधिसूचना सं. 463(ई.) के अनुसरण में एक सरकारी कंपनी होने के कारण इस कंपनी के कथन, जिसमें बोर्ड द्वारा स्वयं के निष्पादन तथा इसकी समितियों एवं व्यक्तिगत निदेशकों का वार्षिक मूल्यांकन जिस प्रकार से किया गया है, उसकी अलग से मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके निष्पादन का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया गया है।

कर्मचारियों की परिलब्धियों का ब्यौरा

यह कंपनी, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197(12) के तहत विनिर्दिष्ट वर्ग के तहत नहीं आती। अत:, कर्मचारियों की परिलब्धियों से संबंधित प्रकटन लागू नहीं है।

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण तथा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

a) **ऊर्जा का संरक्षण**: इस कंपनी के प्रचालनों में ऊर्जा की प्रबलता नहीं है।

b) **प्रौद्योगिकी अवशोषण**: इस कंपनी के प्रचालनों में मुख्यत: इसरो/ अं.वि., मूल संगठन/ प्रशासनिक विभाग द्वारा विकसित उत्पादों तथा सेवाओं का विपणन शामिल है।

c) **विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय**:

	लाख में		
विदेशी मुद्रा अर्जन	**वि.मु. (यू.एस. डॉलर)**	**वि.मु. (यूरो)**	**समतुल्य भारतीय रुपये**
तकनीकी सेवाएं	0.64		45.88
प्रमोचन सेवाएं	227.04	106.24	24,345.66
अन्य सेवाएं		0.67	51.57
कुल	**227.68**	**106.91**	**24,443.11**

विदेशी मुद्रा व्यय	वि.मु. (यू.एस. डॉलर)	वि.मु. (यूरो)	समतुल्य भारतीय रुपये
तकनीकी सेवाओं की लागत	21.18		1,417.62
अन्य भुगतान	0.07		4.81
कुल	**21.25**		**1,422.43**

निदेशकों के दायित्वों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुसरण में, निदेशक यह पुष्टि करते हैं कि:

क) वार्षिक लेखा की तैयारी में, वस्तुओं की रवानगी से संबंधित उपयुक्त व्याख्या सहित लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया।

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया था तथा उन्हें लगातार लागू किया एवं ऐसे निर्णय तथा आंकलन बनाए, जो तर्कसंगत तथा विवेकपूर्ण हो, ताकि वित्त वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यों का न्यायसंगत पक्ष तथा उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ तथा हानि को प्रस्तुत किया जा सके।

ग) इस कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों ने पर्याप्त लेखाकरण रिकॉर्डों के रख-रखाव हेतु उपयुक्त तथा समुचित ध्यान दिया है।

घ) निदेशकों ने बढ़ते हुए महत्व के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया; तथा

ड.) निदेशकों ने सभी लागू नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणालियों को तैयार किया तथा यह भी सुनिश्चित किया है कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं तथा वे प्रभावी ढंग से प्रचालन में है।

वार्षिक लाभ का सार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) में दी गई आवश्यकता अनुसार, इस वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में फार्म सं. **एम.जी.टी. 9** में वार्षिक लाभ का सार **अनुबंध-I** में संलग्न है।

लागत रिकॉर्ड

लागत रिकॉर्डों का रख-रखाव इस कंपनी के लिए लागू नहीं है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

यह कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानकों को बनाए रखने हेतु समर्पित है एवं सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डी.पी.ई.) द्वारा निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस आवश्यकताओं का पालन करती है। डी.पी.ई. दिशा-निर्देशों के तहत, संलग्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है। मेसर्स बी.आर.के.एस. एवं एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, बेंगलूरु से प्राप्त कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करने वाले आवश्यक प्रमाण पत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

प्रबंधन चर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट

समीक्षाधीन वर्ष के लिए डी.पी.ई. दिशा-निर्देशों के तहत, प्रबंधन चर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है तथा इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

सचिवालयीन मानक

यह कंपनी बोर्ड तथा सामान्य बैठकों के संबंध में सचिवालयीन मानकों का अनुपालन कर रही है।

कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 की धारा 22 के तहत आवश्यक प्रकटन (रोकथाम, निषेध तथा निवारण)

यह कंपनी इस संबंध में शिकायतों के निवारण के लिए आवश्यक क्रियाविधि को स्थापित करेगी। वर्ष के दौरान कोई शिकायत नहीं मिली है।

राजभाषा का कार्यान्वयन

राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी नीति दिशा-निर्देशों के अनुसार, कंपनी में राजभाषा का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

31.03.2020 के बाद का घटनाक्रम

(क) जोखिम प्रबंधन नीति

बोर्ड ने 22 जून 2020 को आयोजित अपनी 7वीं बैठक में कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति को अनुमोदित किया था।

एनसिल की विभिन्न व्यापार गतिविधियों के संबंध में जोखिमों को समझने तथा उनकी प्रभावी प्रबंधन में बोर्ड की सहायता करने एवं उसे सुकर बनाने एवं मौजूदा व्यापार गतिविधियों एवं उभरते व्यापार माहौल को ध्यान में रखते हुए, जहां भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए एक सम स्तरीय बाजार क्षेत्र का सृजन किया जा रहा है, कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति को निम्नलिखित सिद्धांत पर विकसित किया गया:

"जोखिम मूल्यांकन में तथा दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरण के लिए सूचित निर्णयों, पर्याप्त सम्यक तत्परता के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को सक्षम बनाना"

आरंभ में, इस जोखिम प्रबंधन नीति द्वारा प्रक्रियाओं को लचीला बनाया जाएगा, ताकि प्रयोक्ता अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से इसका पालन कर सके। बोर्ड को पहचान किये गये अधिक जोखिमों तथा प्रत्येक छमाही में एक बार उसे कम करने हेतु योजनाओं पर जानकारी दी जाती है। प्रत्येक व्यापार शाखा आवश्यक कार्यनीतियों तथा योजनाओं में परिवर्तन हेतु बोर्ड द्वारा विचार करने हेतु भू-राजनीतिक, आर्थिक, सरकारी नीति, सामाजिक एवं बाजार/प्रौद्योगिकी पर्यावरण से उनके व्यापार में होने वाली संभावित जोखिमों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(ख) बोर्ड में हुए परिवर्तन

वित्त वर्ष की समाप्ति पर, श्रीमती टी.के. अनुराधा इसरो/अंवि. से सेवानिवृत्त हो गईं तथा 30 अप्रैल 2020 से निदेशक का पद त्याग दिया एवं 22 जून 2020 से उनके स्थान पर मनोनीत निदेशक के तौर पर श्री आर. उमामहेश्वरन, वैज्ञानिक सचिव, इसरो/अं.वि. को नियुक्त किया गया।

(ग) बोर्ड की समितियां

22 जून 2020 को आयोजित बोर्ड की 7वीं बैठक में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डी.पी.ई. दिशा-निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया:

क. लेखा परीक्षा समिति
ख. परिलब्धियां समिति

इस बोर्ड ने दिनांक 21 सितंबर 2020 के परिचालित संकल्प द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) समिति का गठन किया।

इन समितियों का विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में प्रदान की गई है।

(घ) संशोधित/संवर्धित अधिदेश

अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों के भाग के रूप में अं.वि. द्वारा दिनांक 30 जून 2020 की टिप्पण सं डी.एस.-उपी.-16011/1/2020 - अनुभाग 3 द्वारा दी गई सूचना के अनुसार भारत सरकार ने एनसिल को उपग्रह तथा प्रमोचक रॉकेट प्रणालियों में शुरू से लेकर अंत तक की वाणिज्यिक गतिविधियों को निष्पादित करने का अधिदेश दिया है। एनसिल का संशोधित/संवर्धित अधिदेश निम्नानुसार है:

- भू-प्रेक्षण तथा संचार अनुप्रयोगों के लिए **उपग्रहों का स्वामित्व** तथा अंतरिक्ष आधारित सेवाएं प्रदान करना
- **उपग्रहों का निर्माण करना** तथा मांग के अनुसार उनका प्रमोचन करना
- ग्राहकों के उपग्रहों के लिए **प्रमोचन सेवाएं प्रदान करना**
- भारतीय उद्योग के माध्यम से **प्रमोचक रॉकेटों का निर्माण करना**, तथा उन्हें उपग्रह ग्राहक आवश्यकता के अनुसार प्रमोचित करना
- वाणिज्यिक आधार पर भू-प्रेक्षण तथा संचार उपग्रहों से संबंधित **अंतरिक्ष आधारित सेवाएं** प्रदान करना
- भारतीय उद्योग के माध्यम से **उपग्रह निर्माण करना**
- भारतीय उद्योग को **प्रौद्योगिकी अंतरण करना**

कोविड-19 का प्रभाव

एनसिल की व्यापार गतिविधियों पर कोविड-19 विश्व महामारी का प्रभाव पड़ा है। ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक रॉकेट (पी.एस.एल.वी.) के निर्माण/उत्पादन के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध पर कार्रवाई करने से संबंधित गतिविधियों पर लॉक डाउन तथा अं.वि./इसरो के विभिन्न केंद्रों में प्रतिबंधित आवाजाही के कारण देरी हुई। विभिन्न ग्राहकों ने करारों/समझौता आदि जैसी संविदागत दायित्वों को पूरा करने में आनेवाली समस्याओं के बारे में बताया। वित्तीय अवरोधों के कारण, ग्राहकों ने अंतरिक्ष खंड प्रभारों (विशेषकर प्रेषानुकर क्षमता को पट्टे पर देने) के स्थगन/छूट हेतु भी अनुरोध किया। ऐसे अनुरोधों को सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर विभाग ने करार/समझौता ज्ञापन के अप्रत्याशित घटना खंड के तहत, छह माह की अवधि (1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक) के लिए भुगतान के स्थगन हेतु अपने अनुमोदन की सूचना दी।

आभार

यह बोर्ड इस कंपनी को शुरू करते समय अंतरिक्ष विभाग (अं.वि)/इसरो सहित विभिन्न सरकारी विभागों से प्राप्त सहायता के लिए आभार व्यक्त करता है।

यह बोर्ड कंपनी के प्रबंधन में सहायता प्रदान करने तथा अपना विश्वास रखने के लिए कंपनी के मूल्यवान ग्राहकों की प्रशंसा करती है तथा कामना करती है कि यह पारस्परिक सहायक संबंध भविष्य में भी बना रहे।

यह बोर्ड कंपनी के आरंभिक प्रचालनों की स्थापना करने में सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार, विशेष रूप से अं.वि., इसरो, डी.पी.ई. से प्राप्त मूल्यवान सहायता एवं सहयोग का तहे दिल से धन्यवाद देती है।

यह बोर्ड भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड, वैधानिक लेखा परीक्षकों, बैंकरों, सहभागियों तथा आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं एवं सहयोग के लिए इन सब की सराहना करती है।

यह बोर्ड कंपनी की प्रगति तथा समृद्धि के लिए कंपनी के कार्यकारियों, जो कि अं.वि./इसरो द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए स्टाफ एवं कर्मचारी हैं, की समर्पित सेवाओं के लिए उनकी प्रशंसा करती है।

यह बोर्ड अंतरिक्ष विभाग के अधिकारियों तथा स्टाफ सदस्यों, जिनमें विभिन्न इसरो केंद्रों के कर्मचारी शामिल हैं, की सहायता एवं योगदान के लिए आभार व्यक्त करती है, जिनसे समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी को अपने सफल प्रचालनों में बहुत सहायता मिली है।

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए
निदेशक बोर्ड की ओर से।

हस्ता/-
नारायणन जी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 15.12.2020
स्थान : बेंगलूरु

कंपनी की प्रथम वार्षिक आमसभा

अनुबंध-1

प्रपत्र सं. एम.जी.टी. 9

वार्षिक रिटर्न का सार

31.03.2020 को समाप्त वित्त वर्ष तक
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) तथा कंपनी
(प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण

1	सी.आई.एन.	U74999KA2019GOI122175
2	पंजीकरण का दिनांक	06/03/2019
3	कंपनी का नाम	न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड
4	कंपनी का वर्ग/उपवर्ग	निजी कंपनी शेयरों द्वारा सीमित
5	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण	कमरा सं. एफ01, एच.एस.एफ.सी. भवन, इसरो मुख्यालय, न्यू बी.ई.एल. रोड, बेंगलूरु, कर्नाटक - 560094
6	क्या अधिसूचित कंपनी है	जी नहीं
7	रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट, यदि कोई हो, का नाम, पता एवं संपर्क विवरण	लागू नहीं

II. कंपनी की प्रधान व्यापार गतिविधियां (कंपनी की सभी व्यापार गतिविधियों का विवरण दिया जाए, जो कि कंपनी के कुल कारोबार में 10% या अधिक का योगदान दे रहे हैं)

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम तथा विवरण	उत्पाद/सेवा का एन.आई.सी. कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1	अंतरिक्ष एवं अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां	99653200	90
2	दूरसंचार तथा प्रसारण परियोजनाओं के लिए इंजीनियरी सेवाएं	99833254	10

III. शेयर पूंजी, समानुषंगी तथा सहायक कंपनियों का विवरण - शून्य

IV. शेयर धारित करने का तरीका (कुल इक्विटी के प्रतिशत के अनुसार इक्विटी शेयर पूंजी का अलग-अलग विवरण)

A. वर्ग-वार शेयर धारण

शेयर धारकों का वर्ग	वर्ष की शुरुआत (1 अप्रैल 2019* तक) में धारित शेयरों की संख्या*				वर्ष के अंत (31 मार्च 2020 तक) में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन %
	डिमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	डिमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रमोटर									
(1) भारतीय									
क) व्यक्तिगत/संयुक्त हिंदु परिवार	---	---	---	---	---	---	---	---	--

ख) केंद्र सरकार**	---	1,00,00,000	1,00,00,000	100%	---	1,00,00,000	1,00,00,000	100%	शून्य
ग) राज्य सरकार (रें.)	शून्य								
घ) निकाय कॉर्पोरेशन	शून्य								
ड.) बैंक/एफ.आई.	शून्य								
च) अन्य कोई	शून्य								
प्रमोटर द्वारा धारित कुल शेयर (क)(1)	---	1,00,00,000	1,00,00,000	100%	---	1,00,00,000	1,00,00,000	100%	
(2) **विदेशी**	शून्य								
ख. सार्वजनिक शेयर धारण	शून्य								
ग. जी.डी.आर. एवं ए.डी.आर. के लिए संरक्षक द्वारा धारण किये गये शेयर	शून्य								
समग्र कुल (क + ख + ग)	---	1,00,00,000	1,00,00,000	100%	---	1,00,00,000	1,00,00,000	100%	---

* इस कंपनी की शुरुआत 06 मार्च 2019 को हुई।

** भारत के राष्ट्रपति एवं उनके मनोनीतों के माध्यम से भारत सरकार

ख) प्रमोटर द्वारा धारित शेयर-

क्र.सं.	**शेयरधारक का नाम**	**वर्ष की शुरुआत में धारित शेयर***			**वर्ष के अंत में धारित शेयर**			**वर्ष के दौरान शेयर धारण के % में परिवर्तन**
		शेयरों की संख्या	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**गिरवी रखे / भारग्रस्त शेयरों का %**	**शेयरों की संख्या**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**गिरवी रखे / भारग्रस्त शेयरों का %**	
1	भारत के राष्ट्रपति तथा उनके मनोनीतों के माध्यम से भारत सरकार	1,00,00,000	100%	---	1,00,00,000	100%	---	---

* इस कंपनी की शुरुआत 06 मार्च 2019 को हुई

ग) प्रमोटरों के शेयर धारण में परिवर्तन (कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई परिवर्तन नहीं है): कोई परिवर्तन नहीं

क्र.स	विवरण	वर्ष की शुरुआत में धारित शेयर*		वर्ष के दौरान धारित संचयी शेयर	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %

	वर्ष की शुरुआत में				
	बढ़ोत्तरी/घटाव हेतु कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों द्वारा धारित शेयरों में तिथि-वार बढ़ोत्तरी/घटाव (उदा. आबंटन/अंतरण/बोनस/ स्वेट इक्विटी इत्यादि):	------------------------ कोई बदलाव नहीं ------------------------			
	वर्ष के अंत में				

* इस कंपनी की शुरुआत 06 मार्च 2019 को हुई।

घ) शीर्ष दस शेयरधारकों की शेयर धारण पद्धति: लागू नहीं
(निदेशकों, प्रमोटरों तथा जी.डी.आर तथा ए.डी.आर. के धारकों के अलावा): लागू नहीं

क्र.सं.	**प्रत्येक शीर्ष दस शेयरधारकों के लिए**	**वर्ष की शुरुआत में धारित शेयर***		**वर्ष के दौरान धारित संचयी शेयर**	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	वर्ष के दौरान धारित संचयी शेयर
	वर्ष की शुरुआत में				
	बढ़ोत्तरी/घटाव हेतु कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों द्वारा धारित शेयरों में तिथि-वार बढ़ोत्तरी/घटाव (उदा. आबंटन/अंतरण/बोनस/ स्वेट इक्विटी इत्यादि)				
	वर्ष के अंत में				

* इस कंपनी की शुरुआत 06 मार्च 2019 को हुई।

ङ.) निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का शेयर धारण : शून्य

क्र.सं.	**प्रत्येक निदेशक तथा प्रत्येक प्रबंधकीय कार्मिक द्वारा धारित शेयर**	**वर्ष की शुरुआत में धारित शेयर***		**वर्ष के दौरान धारित संचयी शेयर**	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष की शुरुआत में				
	बढ़ोत्तरी/घटाव हेतु कारणों को दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों द्वारा धारित शेयरों में तिथि-वार बढ़ोत्तरी/घटाव (उदा. आबंटन/स्थानांतरण/बोनस/ स्वेट इक्विटी इत्यादि) श्री एस. कुमारास्वामी, पूर्व संयुक्त सचिव (अं.वि.) में 1000 इक्विटी शेयरों को श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा, संयुक्त सचिव, (अं.वि.) को अंतरित किया गया है	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में:				

* इस कंपनी की शुरुआत 06 मार्च 2019 को हुई।

V) ऋणग्रस्तता - शून्य

बकाया/संग्रहित ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता, जो कि भुगतान के लिए देय नहीं है।

	जमा को छोड़ते हुए सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्त वर्ष की शुरुआत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशियां	-	-	-	-
ii) देय ब्याज, परंतु जिसका भुगतान नहीं किया गया है	-	-	-	-
iii) उपचित ब्याज, परंतु जिसका भुगतान नहीं किया गया है	-	-	-	-
कुल (i+ii+iii)	-	-	-	-
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
* जोड़	-	-	-	-
* घटाव	-	-	-	-
निवल परिवर्तन	-	-	-	-
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	-	-	-	-
ii) देय ब्याज, परंतु जिसका भुगतान नहीं किया गया है	-	-	-	-
iii) उपचित ब्याज, परंतु जिसका भुगतान नहीं किया गया है	-	-	-	-
कुल (i+ii+iii)	-	-	-	-

VI. निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की परिलब्धियां

क. प्रबंध निदेशक, पूर्ण कालिक निदेशकों और/अथवा प्रबंधक की परिलब्धियां

क्र.सं.	परिलब्धियों का विवरण	प्रबंध/निदेशक/पूर्ण/कालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम			कुल राशि
		सुमा डी.आर (31.01.2020 तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)	नारायणन जी (01.02.2020 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)	डी. राधाकृष्णन	
1	सकल वेतन	34,57,287	6,59,398	46,74,269	87,90,954
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में शामिल प्रावधानों के अनुसार वेतन	-	-	-	-
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत दी गई पूर्वापेक्षितों का मूल्य	-	-	-	-
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन की एवज में लाभ	-	-	-	-
2	स्टॉक विकल्प				
3	स्वेट इक्विटी	-	-	-	-
4	कमीशन - लाभ के % के तौर पर - अन्य, कृपया उल्लेख करें।	-	-	-	-
5	अन्य, कृपया उल्लेख करें	-	-	-	-
	कुल (क)	**34,57,287**	**6,59,398**	**46,74,269**	**87,90,954**
	अधिनियम के अनुसार तय सीमा	लागू नहीं			

ख. अन्य निदेशकों की परिलब्धियां : शून्य

क्र. सं.	परिलब्धियों का विवरण	निदेशकों का नाम		कुल राशि	
1	स्वतंत्र निदेशक				
	बोर्ड की समितियों की बैठकों में उपस्थित रहने हेतु शुल्क				
	कमीशन				
	अन्य, कृपया उल्लेख करें				
	कुल (1)				
2	अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक				
	बोर्ड की समितियों की बैठकों में उपस्थित रहने हेतु शुल्क				
	कमीशन अन्य, कृपया उल्लेख करें कुल (2)				
	कुल (ख)=(1+2) कुल प्रबंधकीय परिलब्धियां अधिनियम के अनुसार तय समग्र सीमा				

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्ण कालिक निदेशकों के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की परिलब्धियां : शून्य

क्र. सं.	परिलब्धियों का ब्यौरा	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक			
		सी.ई.ओ	सी.एस	सी.एफ.ओ.	कुल
1	सकल वेतन				
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में शामिल प्रावधानों के अनुसार वेतन				
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत दी गई पूर्वापेक्षितों का मूल्य				
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले में लाभ				
2	स्टॉक विकल्प				
3	स्वेट इक्विटी				
4	कमीशन - लाभ के % के तौर पर अन्य, कृपया उल्लेख करें।				
5	अन्य, कृपया उल्लेख करें				
	कुल				

VII. जुर्माना/ दंड/ अपराधों का संयोजन: शून्य

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लागू जुर्माना/ दंड/ अपराधों के संयोजन का विवरण	प्राधिकारी [आर.डी./ एन. सी.एल.टी. / अदालत]	की गई अपील, यदि कोई हो (विवरण दें)
क. कंपनी					
जुर्माना					
दंड					
अपराधों का संयोजन					
ख. निदेशक					
जुर्माना					
दंड					
अपराधों का संयाजेन					
ग. अन्य चूककर्ता अधिकारी					
जुर्माना					
दंड					
अपराधों का संयोजन					

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए
निदेशक बोर्ड की ओर से

हस्ता/-
नारायणन जी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 15.12.2020
स्थान : बेंगलूरु

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

उद्योग परिदृश्य

अंतरिक्ष उद्योग वैश्विक रूप से समूची मूल्य श्रृंखला में, अर्थात दोनों ही ऊर्ध्व प्रवाह (उपग्रह निर्माण एवं प्रमोचन) तथा अनुप्रवाह (भू-खंड, अंतरिक्ष आधारित सेवाएं एवं मूल्य निष्ठ सेवाएं) गतिविधियों में अत्यंत सक्षम बन रहा है। अनुप्रवाह गतिविधियों से लगभग 85-90% राजस्व प्राप्त होता है। उपग्रह उद्योग में सरकारी अंतरिक्ष युग से वाणिज्यिक/उद्यमशील अंतरिक्ष युग में परिवर्तित संरचनात्मक परिवर्तन हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष अनुप्रयोगों की विस्तृत श्रेणी के लिए किफायती और लचीले समाधानों का विकास करना है।

समूचे विश्व में प्रौद्योगिकी उन्नति, नए व्यवसाय मॉडल तथा निजी उद्योग और अंतरिक्ष स्टार्ट अप अंतरिक्ष उद्योग के विकास को बढ़ा रहे हैं।

उपग्रह उद्योग के विकास को गति देने वाले कुछ मुख्य घटकों में निम्नवत शामिल हैं:

- उपग्रह प्लेटफॉर्म और अधिक दक्ष, लचीले एवं मजबूत हो रहे हैं।
- उच्च प्रवाह क्षमता वाले उपग्रहों का उद्‌गम (एच.टी.एस.) तथा एन.जी.एस.ओ. (गैर भू-स्थिर) तारामंडल उपग्रह आधारित सेवाओं के आर्थिक पहलुओं का रूपांतरण कर रहे हैं।
- प्रमोचन सेवाओं के बाजार में, प्रौद्योगिकीय उन्नतियों, अत्याधुनिक निर्माण पद्धतियों में प्रतिस्पर्धा के चलते अंतरिक्ष तक पहुंच किफायती हो रही है, जोकि वास्तविकता है।

संगठन की संरचना

इस कंपनी का निगमीकरण 06 मार्च 2019 को किया गया तथा कंपनी के संचालन के लिए इसरो/अं.वि. के अधिकारियों को कंपनी में प्रतिनियुक्त किया गया। इस कंपनी को सार्वजनिक उद्यम विभाग से 06 फरवरी 2020 को अनुसूची-क कंपनी की श्रेणी प्राप्त हुई है।

इसरो/अं.वि. ने कंपनी की अनुमोदित संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया की पहल की है। कंपनी में अपने ही वेतन पत्रक में कार्मिकों की भर्ती करने की प्रक्रिया भी चल रही है।

वर्तमान में,कंपनी का संचालन बोर्ड निदेशकों, द्वारा किया जा रहा है। जिनमें, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, निदेशक (तकनीकी एवं कार्यनीति); सरकार द्वारा नामित एक निदेशक तथा इसरो द्वारा नामित दो निदेशक शामिल हैं।

उत्पाद एवं सेवाएं

(i) उद्योग में लघु उपग्रह प्रौद्योगिकी का अंतरण (ii) निजी क्षेत्रों के समन्वयन के साथ एस.एस.एल.वी. का निर्माण (iii) भारतीय उद्योग द्वारा ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन रॉकेट (पी.एस.एल.वी.) का उत्पादन (iv) इसरो प्रमोचक रॉकेट ऑनबोर्ड प्रमोचन सेवाएं (v) उपग्रह आधारित संचार, भू-प्रेक्षण एवं मिशन समर्थन सेवाओं सहित अंतरिक्ष आधारित सेवाएं प्रदान करना। (vi) इसरो के केंद्रों तथा अं.वि. के संवैधानिक संस्थानों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी का रूपांतरण (vii) स्पिन-ऑफ प्रौद्योगिकियों तथा उत्पादों/सेवाओं का बाजारीकरण जैसे क्षेत्रों में इसरो द्वारा संपन्न अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के वाणिज्यिक लाभ की मुख्य अनिवार्यता के साथ कंपनी का निगमीकरण हुआ।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान व्यापार उपलब्धियां

वर्ष के दौरान, एनसिल ने अपने व्यापार प्रचालनों में पर्याप्त प्रगति की है तथा नई व्यापार गतिविधियों की भी पहल की है। इसकी कुछ व्यापार उपलब्धियां हैं:

- **"भारतीय उद्योग संघ" की पद्धति से पी.एस.एल.वी. का उत्पादन**
    - भारतीय उद्योग(गों) द्वारा पी.एस.एल.वी. उत्पादन के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) जारी की और प्रतिक्रियाएँ भी प्राप्त हुईं। अगले चरण के रूप में लघुसूचित पार्टियों के लिए आर.एफ.पी. का प्रकाशन कार्य चल रहा है।

इसरो मु. में 17 जून 2020 को आयोजित प्रथम एनसिल उद्योग चर्चात्मक बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ. कै. शिवन, सचिव, अं.वि./अध्यक्ष, इसरो इस बैठक में लगभग 50 उद्यमियों ने भाग लिया।

- **पी.एस.एल.वी. एवं एस.एस.एल.वी. ऑनबोर्ड प्रमोचन सेवाएं**
  - इस अवधि के दौरान, पी.एस.एल.वी.-सी.47 एवं पी.एस.एल.वी.-सी.48 ऑनबोर्ड कुल 22 ग्राहक उपग्रहों का प्रमोचन किया गया है।
  - पी.एस.एल.वी. एवं एस.एस.एल.वी. ऑनबोर्ड ग्राहक उपग्रहों के प्रमोचन के लिए तीन समर्पित प्रमोचन सेवा समझौतें तथा बारह सह-यात्री प्रमोचन सेवा समझौतें जैसे 15 प्रमोचन सेवा समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- **सैटकॉम सेवाएं**
  - एनसिल ने दिसंबर 2020 में प्रेषानुकर पट्टेधारी व्यापार गतिविधियां प्रारंभ की हैं तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 तक दो डी.टी.एच. (डायरेक्ट-टू-होम) प्रचालकों तथा एक डी.एस.एन.जी. (डिजीटल सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग) प्रचालक को प्रेषानुकर क्षमता प्रदान की है।
- **अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए उपग्रह निर्माण**
  - इसरो की विशेषज्ञता एवं अवसंरचना के उपयोग द्वारा अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए उपग्रह निर्माण के साहसिक क्षेत्र में पदार्पण करने के लिए एनसिल उत्सुक है। इस दिशा में, एनसिल ने अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को प्रौद्योगिकी-वाणिज्यिक प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं, जिनमें (i) संचार उपग्रह एवं भू-प्रेषण उपग्रह निर्माण (ii) उपग्रह बस प्लेटफार्म प्रदान करना (iii) प्रमोचन सेवाएं प्रदान करना (iv) भू एवं प्रयोक्ता खंड की स्थापना करना शामिल है।
- **सुदूर संवेदन आँकड़े एवं सेवाएं** :
  - वर्ष के दौरान, एनसिल ने कर्नाटक सरकार के लिए सुदूर संवेदन परामर्श अध्ययन परियोजना निष्पादित की है।
- **मिशन समर्थन सेवाएं**
  - एनसिल इसरो भू-केंद्रों का उपयोग करते हुए दूरमिति एवं दूर-संचार (टी.टी.सी.) सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक उपग्रह स्वामित्यों/प्रचालकों की भूमिका निभाता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, एनसिल ने प्रमोचक रॉकेट एवं उपग्रह अंत:क्षेप के अनुवर्तन के लिए एक मिशन में सहायता प्रदान की है।
- **प्रौद्योगिकी अंतरण एवं तकनीकी परामर्श सेवाएं**
  - एनसिल इसरो के विभिन्न केंद्रों/यूनिटों से विभिन्न भारतीय उद्योग साझेदारों में अंतरिक्ष उत्पादों के प्रौद्योगिकी रूपांतरण को योग्य बनाने के लिए प्रचालन यंत्रावलियों पर कार्य कर रहा है।
  - तकनीकी परामर्श सेवाओं की दिशा में, एनसिल ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए भावी उपग्रहों को ज्ञात करने हेतु अंतरराष्ट्रीय ग्राहक को अभिरुचि की अभिव्यक्ति पर प्रतिक्रिया प्रस्तुत की है। एनसिल को प्रक्रिया के अगले चरण के लिए लघुसूचित किया गया है।

एस.डब्ल्यू.ओ.टी. विश्लेषण

कंपनी को उद्योग परिदृश्य समझने के लिए, बाजार में अपने उत्पादों एवं सेवाओं की प्रतिस्पर्धात्मक लाभ और स्थिति प्राप्त करने हेतु व्यापार कार्यनीति प्रतिपादित करने के लिए एस.डब्ल्यू.ओ.टी. विश्लेषण करना आवश्यक है। तदनुसार, एनसिल ने एस.डब्ल्यू.ओ.टी. विश्लेषण का निष्पादन किया तथा व्यापार प्रचालनों की योजना एवं कार्यनीति के लिए अपने परिणामों को ध्यान में रखा हैं।

उत्पाद-वार निष्पादन

(लाख में भा.रा.रु)

व्यापार खंड	निर्यात	घरेलू	कुल
प्रमोचन सेवाएं मिशन समर्थन सेवाएं वैकल्पिक प्रमोचन सेवाएं सुदूर संवेदन सेवाएं अंतरिक्ष खंड प्रभार (प्रेषानुकर पट्टा प्रभार)	28,351.09	3,293.18	31,644.27

दृष्टिकोण

कंपनी अपनी उन्नत, अनिवार्य एवं बढ़ी हुई स्वायत्ता के साथ उपग्रहों के निर्माण, प्रमोचन, स्वामित्व एवं प्रचालन तथा ग्राहकों को प्रभावी रूप से अद्योपांत सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार है। यह कंपनी प्रभावी भारतीय अंतरिक्ष परितंत्र का निर्माण करने के लिए इसरो के प्रौद्योगिकी ज्ञान को उद्योगों को अंतरित करने की प्रक्रिया पर भी कार्य कर रही है।

चुनौतियों का सामना करने के उपाय

कंपनी अपने नियत व्यापार क्षेत्रों में उज्वल भविष्य देखती है, लेकिन इसके प्रचालनों के साथ विभिन्न जोखिम भी जुड़े हैं। इसके साथ दो मुख्य जोखिम जुड़े हैं: (1) नीति परिवर्तन एवं (2) विदेशी प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत स्वार्थ चालित मूल्य। कंपनी ने प्रशासनिक विभाग के साथ परामर्श करते हुए इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सुव्यवस्थित योजना बनाई है।

वित्तीय निष्पादन

वित्तीय निष्पादन निदेशक रिपोर्ट में दिया गया है चूंकि, यह प्रथम वित्तीय वर्ष है, पिछले वर्ष के साथ तुलनात्मक विश्लेषण संभव नहीं है।

मानव संसाधन विकास

कंपनी में अपने वेतन पत्रक में अधिकारियों की भर्ती करने के लिए प्रकिया चल रही है। वर्तमान में अं.वि./इसरो के कुशल अनुभवी एवं प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा कंपनी के प्रचालनों का संचालन किया जा रहा है।

पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण

चूंकि, कंपनी के पास न तो किसी निर्माण सुविधा का स्वामित्व है तथा प्रचालनरत है और ना ही इसके प्रचालनों में कोई पर्यावरण दुष्प्रभावकारी गतिविधियां शामिल हैं, इसलिए कंपनी से कोई पर्यावरणीय/संवर्धन संबंधी समस्या उत्पन्न नहीं होती।

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

सिद्धांत

कंपनी को विश्वास है कि यदि सभी स्टेक होल्डरों पर ध्यान रखा जाए, तो वह व्यापार के जोखिमों और प्रगति का संधारण कर सकती है। सभी स्टेक होल्डरों के समग्र विकास की ओर बढ़ने के लिए यह पारदर्शिता के सिद्धांत, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, जवाबदेही, कानूनों का पालन, प्रक्रियाएं तथा नीतिपरक मानकों की प्राप्ति को कायम रखती है।

यह कंपनी कॉर्पोरेट शासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.) के दिशा-निर्देशों का अनुपालन कर रही है।

बोर्ड वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कॉर्पोरेट शासन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

बोर्ड के निदेशक

कंपनी का संस्था अंतर्नियम के अनुच्छेद 58(3) में निम्नलिखित बोर्ड संरचना का प्रावधान है:

(क) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(ख) कार्यकारी निदेशक
(ग) निदेशक-वित्त
(घ) दो सरकारी निदेशक
(ड.) इसरो के नामित दो निदेशक
(च) तीन स्वतंत्र निदेशक

अनुसूची 'क' कंपनी के रूप में वर्गीकरण के लिए कंपनी ने दिनांक 06.02.2000 के फा.सं.9(8)/2019-एम.जी.एम.टी. के द्वारा कार्यालय ज्ञापन प्राप्त किया है।

वर्तमान में कंपनी का संचालन अं.वि. के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित निम्नानुसार बोर्ड द्वारा किया जा रहा है:

(क) अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(ख) निदेशक, (तकनीकी एवं कार्यनीति)
(ग) एक सरकारी निदेशक
(घ) दो इसरो के नामित निदेशक

अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.) ने आवश्यकतानुसार, अन्य निदेशकों की भर्ती प्रक्रिया आरंभ की है।

बोर्ड की बैठकें, निदेशकों की उपस्थिति तथा समीक्षा के तहत वर्ष के दौरान हुए परिवर्तनों का उल्लेख निदेशक की रिपोर्ट में, किया गया है।

लेखा परीक्षा समिति

बोर्ड ने दिनांक 22 जून 2020 को संपन्न अपनी 7वीं बैठक में निम्नलिखित सदस्यों के साथ लेखा परीक्षा समिति का गठन किया:

श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा, भा.प्र.से.	–	अध्यक्ष
डॉ. पी.वी. वेंकिटाकृष्णन	–	सदस्य
श्री डी. राधाकृष्णन	–	सदस्य
कंपनी सचिव	–	सचिव

चूंकि, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति अभी की जानी है, समिति का गठन नामित निदेशकों तथा एक पूर्णकालिन निदेशक के साथ किया गया है। महाप्रबंधक/वित्त विभाग के प्रधान स्थायी आमंत्रिति रहेंगे।

पारिश्रमिक समिति

बोर्ड ने दिनांक 22 जून 2020 को संपन्न अपनी 7वीं बैठक में निम्नलिखित सदस्यों के साथ पारिश्रमिक समिति का गठन किया:

श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा, भा.प्र.से.	–	अध्यक्ष
डॉ. पी.वी. वेंकिटाकृष्णन	–	सदस्य
श्री आर. उमामहेश्वरन	–	सदस्य
कंपनी सचिव	–	सचिव

चूंकि, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति अभी की जानी है, समिति का गठन नामित निदेशकों के साथ किया गया है।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) समिति

बोर्ड ने दिनांक 21 सितंबर 2020 के अपने परिचालक संकल्प के द्वारा निम्नलिखित सदस्यों के साथ कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) समिति का गठन किया है:

डॉ. पी.वी. वेंकिटाकृष्णन	–	अध्यक्ष
श्री आर. उमामहेश्वरन	–	सदस्य
श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा	–	सदस्य
श्री डी राधाकृष्णन	–	सदस्य
कंपनी सचिव	–	समिति के सचिव

चूंकि, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जानी है, समिति का गठन नामित निदेशकों के साथ किया गया है।

निदेशकों का पारिश्रमिक

वार्षिक विवरणी के सार में, वर्ष 2019-20 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिकों का विवरण वार्षिक विवरणी के सार में दिया गया है।

आचार संहिता

दिनांक 22 जून 2020 को संपन्न कंपनी ने अपनी 7वीं बैठक में कंपनी के सभी बोर्ड सदस्य एवं वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के लिए बोर्ड के निदेशकों ने आचार संहिता को अनुमोदित किया। वित्तीय वर्ष 2020-21 से सभी बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग द्वारा आचार संहिता के अनुपालन के लिए अभिपुष्टि प्राप्त की जाएगी तथा उस प्रभाव पर से घोषणा को इस रिपोर्ट में संलग्न किया जाएगा।

सी.ई.ओ./सी.एफ.ओ. प्रमाणीकरण

डी.पी.ई.के दिशा-निर्देशों की आवश्यकता के अनुसार, मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सी.ई.ओ.) प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है तथा उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

शेयरधारी पैटर्न

कंपनी भारत अथवा विदेश के किसी भी स्टॉक विनिमय में सूचीबद्ध नहीं है। कंपनी के संपूर्ण इक्विटी शेयर पूंजी भुगतान का निर्धारण भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है।

सामान्य बैठक

वित्तीय वर्ष 2019-20 प्रचालन का प्रथम वित्तीय वर्ष था तथा इसलिए वर्ष 2019-20 के दौरान कोई वार्षिक सामान्य बैठकें नहीं हुईं।
वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक सामान्य बैठक
दिन एवं दिनांक : मंगलवार 29 दिसंबर 2020
समय : 11 बजे
स्थान : बोर्ड कक्ष, इसरो मु.
न्यू बी.ई.एल. रोड, बेंगलोर- 560094
दूरभाष : (080) 2217 2693, फैक्स: (080) 2351 7222
ईमेल: cmd-nsil@isro.gov.in
वेबसाइट: www.nsilindia.co.in

प्रकटीकरण

क. लेखा के नोट सं.8 में **संबंधित पार्टी के लेन-देन** का प्रकटीकरण किया गया है। कंपनी के पास कोई भी वस्तुपरक विशेष से संबंधित पार्टी लेन-देन नहीं है, जिनका अपने हित का कोई संभाव्य टकराव हो।

ख. **लेखाकरण मानक**: कंपनी लागू लेखाकरण मानकों (ए.एस.) का अनुपालन कर रही है।

ग. **निदेशकों का प्रशिक्षण**: वर्तमान में बोर्ड सदस्य, इसरो/अं.वि. से हैं, जो कंपनी को गतिशील बनाने के लिए अंतरिक्ष आधारित उत्पादों एवं सेवाओं तथा प्रौद्योगिकी वाणिज्यिक पहलुओं में निपुण हैं। दिनांक 22 जून 2020 को संपन्न अपनी 7वीं बैठक में बोर्ड ने निदेशकों के प्रशिक्षण नीति को अनुमोदित किया।

घ. **सूचना प्रदाता नीति**: कंपनी में अपनी स्वयं की सूचना प्रदाता नीति के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है।

ङ. **सूचना का अधिकार**

कंपनी ने सहायक लोक सूचना अधिकारी (ए.पी.आई.ओ.), केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सी.पी.आई.ओ.) तथा अपीलीय प्राधिकरण पदनामित किए हैं।

वर्ष 2019-20 के दौरान, आर.टी.आई. अधिनियम के तहत 02 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 31.03.2020 तक 02 आवेदनों के उत्तर दिए गए।

च. लोक शिकायतों का निवारण

शिकायतों के समाधानों को पारदर्शक एवं समयबद्ध रूप से आसान बनाने के लिए प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार ने www.pgportal.gov.in. पर वेब आधारित मॉनीटरन प्रणाली की शुरुआत की है।

समीक्षा वर्ष के दौरान, कंपनी को इस संबंध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं।

छ. राष्ट्रपति के निदेश

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अ.जा., अ.ज.जा.,अ.पि.व., दिव्यांग जन एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण संबंधी सभी राष्ट्रपति निदेशों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन कंपनी द्वारा किया जाएगा।

ज. खाता बही के नामे मदों पर व्यय, जो व्यापार के प्रयोजन से नहीं थे

अपने व्यापार और आकस्मिकता के अलावा, प्रत्यक्ष संबंधित व्यय को छोड़कर मदों का व्यय नहीं हुआ। अपने कर्मचारियों/भूतपूर्व कर्मचारियों के कल्याण हेतु व्ययों को खाता बही के नामे किया गया।

झ. वैयक्तिक कारणों पर किए गए व्यय तथा वैयक्तिक प्रकृति तथा बोर्ड के निदेशकों एवं सर्वोच्च प्रबंधक वर्ग के लिए उपगत व्यय

बोर्ड के निदेशकों तथा सर्वोच्च प्रबंधक वर्ग के उपगत व्यय कंपनी के नियमों के तहत अनुगत वेतन, भत्ते, अनुलब्धियां, लाभ की प्रकृति के थे। वर्ष 2019-20 के दौरान बोर्ड के निदेशकों तथा सर्वोच्च प्रबंधक वर्ग के लिए वैयक्तिक प्रकृति जैसे अन्य कोई व्यय उपगत नहीं किए गए।

ञ. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीय विकास (सी.एस.आर. एवं एस.डी.)

कंपनी के लिए सी.एस.आई.आर. प्रावधान वित्तीय वर्ष 2020-21 से लागू होंगे।

ट. सत्यनिष्ठा समझौता

कंपनी इस पर नीति निर्धारण करेगी तथा उक्त का अनुपालन करेगी।

ठ. संचार का माध्यम

कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट सदस्यों एवं इसे प्राप्त करने वाले अन्य हकदारों को परिचालित की गई है।

ड. अनुपालन

कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी सी.पी.एस.ई. के कॉर्पोरेट शासन पर दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया है। कंपनी प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार को तिमाही अनुपालन रिपोर्ट भी प्रस्तुत करती है।

कंपनी सचिव द्वारा जारी कॉर्पोरेट शासन पर, नीति/डी.पी.ई. के दिशा-निर्देश,जो व्यवहार में हैं, उनके अनुपालन प्रमाण पत्र को इस रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा एनसिल के सदस्यों को शपथ दिलाई गई है।

कार्पोरेट शासन पर डी.पी.ई. दिशा-निर्देश के खंड 4.5 के तहत मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.) का प्रमाणन

सेवा में,
निदेशक बोर्ड
न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड

1. हमने 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के वित्तीय कथन तथा नकद प्रवाह कथन की समीक्षा की है और संपूर्ण जानकारी तथा विश्वास के आधार पर यह कहना चाहते हैं कि:
   - i. इन कथनों में वास्तविक रूप से कोई असत्य कथन नहीं है तथा किसी भी प्रकार के वास्तविक तत्व को छोड़ा नहीं गया है अथवा ऐसे कथन शामिल नहीं हैं, जो कि भ्रामक हो;
   - ii. ये कथन एक साथ कंपनी के कार्यों के बारे में सत्य एवं न्यायोचित दृष्टि प्रदान करते हैं तथा ये मौजूदा लेखाकरण मानकों, लागू नियमों एवं विनियमों के अनुसार हैं।

2. संपूर्ण ज्ञान तथा विश्वास के आधार पर यह उल्लेख किया जाता है कि वर्ष के दौरान इस कंपनी के द्वारा प्रविष्ट कोई भी लेन-देन छल-कपट, गैर-कानूनी प्रवृत्ति वाले नहीं है अथवा कंपनी की आचार संहिता के विरुद्ध नहीं है।

3. वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रणों की स्थापना करने तथा उसके अनुरक्षण हेतु हम उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित इस कंपनी के आंतरिक प्रणालियों की प्रभावत्मकता का मूल्यांकन किया है। हमने ऐसी आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन अथवा प्रचालन में किसी भी प्रकार से रिपोर्ट करने योग्य कोई भी कमी नहीं पाई है।

4. हमने लेखा परीक्षकों को यह इंगित किया है कि:
   - i. वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं है;
   - ii. लेखाकरण नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव लेखाकरण मानकों (ए.एस.) के अनुपालन में किया गया है।
   - iii. किसी भी प्रकार का कोई भी महत्वपूर्ण धोखेबाजी का मामला दर्ज नहीं हुआ है, जिसकी हमें जानकारी है।

हस्ता/-
(नारायणन जी.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कॉर्पोरेट शासन अनुपालन प्रमाण पत्र

कॉर्पोरेट पहचान सं. : U74999KA2019GOI122175
प्राधिकृत पूंजी : भा.रा.रु. 100,00,00,000

सेवा में,
सदस्यगण
न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड
बेंगलूरु

हमने केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम के कॉर्पोरेट शासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.) के दिशा-निर्देशों में अनुबंधित कॉर्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन प्रमाणीकरण के प्रयोजन हेतु 31 मार्च 2020 को संपन्न वर्ष के लिए न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के संबंधित अभिलेखों की जाँच कर ली है। हमें हमारी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के साथ सभी सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त हो चुके हैं, जो कि प्रमाणीकरण के लिए आवश्यक थे।

कॉर्पोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। कॉर्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अंगीकृत कार्यविधि एवं कार्यान्वयन प्रक्रिया तक ही हमारी जाँच सीमित थी।

हमारी जाँच के आधार पर प्रस्तुत किए गए अभिलेख, स्पष्टीकरण तथा जानकारी पर हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने उचित अभिलेखों का रखरखाव किया है तथा 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निम्नलिखित से संबंधित केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम के कॉर्पोरेट शासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.) के दिशा-निर्देशों में अनुबंधित कॉर्पोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन कर लिया है।

क) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं हुई है

ख) आवश्यकतानुसार समितियों का गठन नहीं हुआ है

ग) जोखिम प्रबंधन नीति, निदेशक प्रशिक्षण नीति, आचार संहिता, सूचना प्रदाता नीति का कार्यान्वयन नहीं हुआ है।

हालांकि, रिपोर्ट की तिथि से, कंपनी स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति तथा सूचना प्रदाता नीति के कार्यान्वयन को छोड़कर, शेष का अनुपालन कर रही है।

कृते बी.आर.के.एस. एंड एसोसिएट
कंपनी सचिव

हस्ता/-
(बी. राजेश्वर राव)
साझेदार

दिनांक : 08.10.2020
स्थान : बेंगलूरु

चार्टरित लेखाकार
24, 4वाँ मेन रोड
मल्लेश्वरम
बेंगलूरु - 560 003
भारत

दूरभाष : +91 - 80 - 23348805
मोबाइल : +91 98440 56359
ई-मेल : shanbhogue_k_r@yahoo.com

पाल एण्ड शानभोग

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड, बेंगलूरु के सदस्यों के लिए

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड के सह वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण किया, जिसमें 31 मार्च 2020 तक का शेष राशि पत्र, लाभ-हानि का विवरण, तब समाप्त हुए वर्ष के नगद प्रवाह का विवरण, महत्वपूर्ण लेखा नीतियों तथा अन्य विवरणात्मक सूचनाओं के सार सहित (अब से 'वित्तीय विवरण' के रूप में संदर्भित) वित्तीय विवरणों के लिए नोट शामिल हैं।

राय

हमारी राय में तथा हमें प्राप्त सूचना और विवरण के अनुसार, भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा नियमों के अनुसरण में, सह वित्तीय विवरण 31 मार्च 2020 तक के कंपनी के मामलों की स्थिति, 6 मार्च 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के लिए इसके लाभ तथा उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए नगद प्रवाह का सही और उचित आकलन प्रस्तुत करते हैं।

राय का आधार

हमने अपना लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानक (एस.ए.) के अनुसार निष्पादित किया। उन मानकों के तहत, हमारे दायित्व हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण के लेखापरीक्षा हेतु लेखा परीक्षक के दायित्व खंड में बताए गए हैं। भारतीय चार्टरित लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार नीति संहिता तथा साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आचार नीति आवश्यकताओं और उसके अंतर्गत आने वाले नियमों के अनुसार, हम कंपनी के अधीन नहीं हैं, तथा इन आवश्यकताओं और आचार नीति संहिता के अनुरूप हम अपनी अन्य आचार नीति आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखापरीक्षा प्रमाण पर्याप्त है तथा हमारी राय के लिए आधार प्रदान करता है।

वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त सूचना तथा उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

अन्य सूचना के लिए कंपनी के निदेशकों का बोर्ड जिम्मेदार है। अन्य सूचना में बोर्ड के रिपोर्ट में शामिल सूचना आती है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं होती।

हमारी राय में वित्तीय विवरणों पर अन्य सूचना शामिल नहीं होती है और हम उस पर किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष नहीं देते।

वित्तीय विवरणों की हमारे लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचना को पढ़ना है तथा ऐसा करते हुए यह ध्यान रखना है कि क्या अन्य सूचना वित्तीय विवरणों से असंगत है या अन्य सूचना में क्या लेखापरीक्षा में या अन्य प्रकार से प्राप्त किया गया हमारा ज्ञान गलत प्रतीत होता है।

यदि हम अपने द्वारा किये कार्य के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस अन्य सूचना में एक तथ्यात्मक गलती है, तो हमें इस तथ्य को बताने की आवश्यकता है। इस संबंध में, हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले

हमारे व्यावासायिक समझ-बूझ में, मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो वर्तमान अवधि में वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण थे। समग्र रूप से वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के विषय में, तथा उस पर हमारी राय में इन मामलों पर चर्चा की गई और इन मामलों पर हम अलग से राय नहीं देते। यहाँ रिपोर्ट किये जाने के लिए कोई मुख्य लेखापरीक्षा मामले नहीं हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी अधिनियम के खंड 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा प्रतिमानों सहित, भारत में समान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार, कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नगद प्रवाह का सही और उचित जानकारी देने वाले इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में, कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") के खंड 134(5) में बताये गए मामलों के लिए कंपनी के निदेशकों का बोर्ड जिम्मेदार है। कंपनी की परिसंपत्ति की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उसका पता लगाने के लिए, उचित लेखा नीतियों के चुनाव और उपयोग के लिए, तर्कसंगत एवं विवेकपूर्ण निर्णय लेने और अनुमान लगाने, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावपूर्ण तरीके से संचालित हो रहे तथा सही और उचित जानकारी देने वाले वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा उनकी प्रस्तुति के लिए सुसंगत और धोखाधड़ी या गलती के चलते किसी तथ्यात्मक अशुद्ध विवरण से मुक्त प्रचुर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और रख-रखाव के लिए, इस दायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रख-रखाव भी शामिल है।

यदि निदेशकों का बोर्ड या तो कंपनी को समाप्त करने या कामकाज को बंद करने का इरादा नहीं रखता है या उनके पास इसे करने के अतिरिक्त कोई और मजबूत विकल्प नहीं है, तो वित्तीय विवरण तैयार करने में, निदेशकों का दल व्यवसाय को जारी रखने, व्यवसाय से संबंधित मामलों के प्रकटीकरण तथा लेखा के व्यवसाय आधार का उपयोग करने की कंपनी की योग्यता का निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी है। निदेशकों का बोर्ड कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए भी उत्तरदायी हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप में धोखाधड़ी या गलती के चलते तथ्यात्मक अशुद्ध विवरण से मुक्त है, तथा हमारा उद्देश्य हमारी राय सहित लेखापरीक्षक के रिपोर्ट को जारी करना है। तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन है किंतु यह एक गारंटी नहीं है कि मानक लेखापरीक्षा के अनुरूप किया गया लेखापरीक्षा तथ्यात्मक अशुद्ध विवरण के होने पर उसका हमेशा पता लगा पाएगा। अशुद्ध विवरण धोखाधड़ी या गलती की वजह से हो सकते हैं, तथा यदि वे अकेले या समूह में इन वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों को वाकई प्रभावित कर सकते हैं, तो उन्हें तथ्यात्मक माना जाता है।

अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 143 के उप-खंड (11) के संबंध में, भारत के केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2016 ("आदेश") की आवश्यकतानुसार, हम आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर, जिस हद तक लागू हो, अनुलग्नक 'क' में एक विवरण प्रस्तुत करते हैं।

2. **अधिनियम के खंड 143 (3) की आवश्यकतानुसार, हम रिपोर्ट देते हैं कि:**

(क) हमने सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण माँगे और प्राप्त किया, जो हमारी जानकारी और विश्वास में हमारे लेखापरीक्षा उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे।

(ख) हमारी राय में हमने पाया कि कंपनी के पास नियमानुसार लेखा की उचित बहियाँ हैं, जैसा कि उन बहियों को देखने से पता चलता है।

(ग) इस रिपोर्ट में शामिल तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरण तथा नगद प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

(घ) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े जाने वाले अधिनियम के खंड 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।

(ड़) कंपनी एक सरकारी कंपनी है अत: अधिनियम के खंड 164(2) के अंतर्गत निदेशकों को अपात्र घोषित करने से संबंधित प्रावधान तथा अधिनियम के खंड 197 के अंतर्गत प्रबंधन क्षतिपूर्ति से संबंधित मामले दिनांक 5 जून 2015 के अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463 (ई.) के द्वारा लागू नहीं होते हैं।

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रभावोत्पादकता के संचालन के बारे में, हमारी पृथक रिपोर्ट "अनुलग्नक ख" में देखें।

(छ) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) अधिनियम 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किये जाने के लिए अन्य मामलों के संबंध में, तथा हमारी राय और हमें प्राप्त सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. वर्तमान तिथि में कंपनी पर कोई लंबित मुकदमा नहीं है।

ii. कंपनी की कोई दीर्घकालिक संविदाएं नहीं है, जिनके लिए कोई भविष्य में कोई नुकसान हो। आगे, कंपनी ने की कोई भी व्युत्पन्न संविदा नहीं की है।

iii. कंपनी के पास कोई भी ऐसी राशि नहीं है, जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि को अंतरित किये जाने की आवश्यकता है।

(ज) अधिनियम के खंड 143(5) की अपेक्षानुसार, भारत के महालेखापरीक्षक एवं नियंत्रक द्वारा निर्दिष्ट मामलों पर हम अनुलग्नक ग में एक विवरण दे रहे हैं।

कृते पाल एवं शानभोग
चार्टरित लेखाकार
फर्म का पंजीकरण सं.: 002528S

PAL & SHANBHOGUE FRN:002528S Bengaluru Chartered Accountants

हस्ता/-
के.आर. शानभोग
साझेदार
सदस्यता सं.: 018578
यू.डी.आई.एन.: 20018578AAAAAY2776

दिनांक: 8 अक्तूबर 2020
हस्ताक्षर स्थान: बेंगलूरु

अनुलग्नक क

(अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट के पैरा 1 में उल्लेखित)

(i) (क) परिमाणात्मक विवरणों और संपत्ति, संयत्र एवं उपकरण (पी.पी.ई.) की स्थिति सहित पूर्ण ब्यौरा दर्शाते हुए कंपनी समूचित अभिलेखों का रख-रखाव कर रही है;

(ख) कंपनी का पी.पी.ई. समय-समय पर प्रबंधन द्वारा स्वयं वहाँ जाकर सत्यापित किया गया। जैसा कि हमें बताया गया है। इन सत्यापनों में कोई तथ्यात्मक अनियमितता नहीं देखी गई।

(ग) कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है।

(ii) कंपनी के पास कोई वस्तु-सूची नहीं है अत: आदेश का खंड 3 (ii) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(iii) हमें प्राप्त सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किन्हीं कंपनियों, फर्मों, सीमित दायित्व वाली साझेदारियों या कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 189 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में आने वाले अन्य पक्षों को सुरक्षित या असुरक्षित कोई ऋण नहीं दिया है। अत: आदेश के खंड 3 (iii)(क), 3 (iii)(ख) और 3 (iii)(ग) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(iv) हमारी राय तथा हमें प्राप्त सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 185 और 186 के प्रावधानों के जरिए लागू, कंपनी ने ना कोई ऋण दिया है या ना कहीं निवेश किया है या ना ही कोई गारंटी और प्रतिभूति दिया है, अत: आदेश का खंड 3 (iv) कंपनी पर लागू नहीं है।

(v) कंपनी ने कोई जमा राशि स्वीकार नहीं किया है, अत: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेश और कंपनी अधिनियम के खंड 73 से 76 के प्रावधान या किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान तथा उसमें आने वाले नियम कंपनी पर लागू नहीं होते। अत: आदेश के खंड 3 (v) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(vi) केंद्र सरकार ने कंपनी की किन्हीं व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 148 (1) के अंतर्गत लागत अभिलेखों का रख-रखाव निर्धारित नहीं किया है। अत:, आदेश के खंड 3 (vi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(vii) (क) हमें प्राप्त सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा लेखा की पुस्तकों और अभिलेखों के निरीक्षण के आधार पर, यह ज्ञात हुआ है कि कंपनी भविष्य निधि, राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा-शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य अधिभार कर, उपकर तथा कोई अन्य वैधानिक बकाया राशि सहित अविवादित वैधानिक बकाया राशियों को उचित प्राधिकरणों को चुकाने में नियमित रही है। ऐसी कोई वैधानिक बकाया राशि, जिस तिथि से चुकाए जाने योग्य हो जाती है, शेष राशि शीट तिथि से 6 माह से अधिक बकाया रहने पर, उनको चुकाने में कोई विलंब नहीं पाया गया है।

(ख) हमें प्राप्त सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर, बिक्री कर या सेवा कर या सीमा-शुल्क या उत्पाद शुल्क या मूल्य अधिभार कर बकाया नहीं है। हालाँकि, 31-3-2020 को बकाया जी.एस.टी. नियत तिथि से पहले चुका दी गई।

(viii) हमारी राय में तथा हमें प्राप्त सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने न तो किसी वित्तीय संस्था, बैंक, सरकार से उधार लिया है, ना ही इसने कोई ऋणपत्र जारी किया है। अत: आदेश का खंड 3(viii) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(ix) हमें प्राप्त सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या अन्य सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण साधन सहित) और मियादी ऋण के जरिए धन उगाही नहीं की है। अत: आदेश के खंड 3 (ix) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(x) हमारी लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, तथा हमें प्राप्त सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमें कंपनी के साथ हुए या उसके द्वारा किये किसी धोखाधड़ी का प्रमाण नहीं मिला, ना ही ऐसे किसी मामले की सूचना हमें प्रबंधन से प्राप्त हुई। तदनुसार, आदेश के पैरा 3 (x) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xi) कॉर्पोरेट मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 5 जून 2015 के अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463 (ई.) के अनुसार, प्रबंधन संबंधी पारिश्रमिक के बारे में खंड 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होता। तदनुसार आदेश के पैरा 3 (xi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

(xii) हमारी राय में, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है, अत: आदेश का खंड 3(xii) लागू नहीं होता।

(xiii) हमारी राय में संबंधित पक्षों के साथ हुए लेन-देन कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 177 और 188 के अनुपालन में हैं, तथा ऐसे लेन-देन का विवरण लागू लेखा मानकों द्वारा अपेक्षित वित्तीय विवरणों आदि में दर्शाया गया है।

(xiv) हमें प्राप्त सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने लेखापरीक्षा के तहत इस अवधि में कोई पसंदीदा आबंटन या शेयरों का निजी स्थानन या पूर्ण या आंशिक परिवर्तनीय ऋणपत्र नहीं बनाए। अत:, आदेश का खंड 33 (xiv) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(xv) हमें प्राप्त सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 192 के अंतर्गत कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े लोगों के साथ किसी प्रकार का गैर-नगदी लेन-देन नहीं किया।

(xvi) हमारी राय में, कथित अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित पंजीकरण वाले भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के खंड 45-आई.ए. के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

कृते पाल एवं शानभोग
चार्टरित लेखाकार
फर्म का पंजीकरण सं.: 002528S

PAL & SHANBHOGUE
FRN: 002528S
Bengaluru
Chartered Accountants

हस्ता/-
के.आर. शानभोग
साझेदार
सदस्यता सं.: 018578
यू.डी.आई.एन.: 20018578AAAAAY2776

दिनांक: 08.10.2020
हस्ताक्षर स्थान: बेंगलूरु

अनुलग्नक ख

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") के खंड 143 के उप-खंड 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट।

हमने न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड, बेंगलूरु की वित्तीय रिपोर्टिंग पर 31 मार्च 2020 को वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के साथ-साथ आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखापरीक्षा किया।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

भारतीय चार्टरित लेखाकार संस्थान (आई.सी.ए.आई.) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में बताए गये आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग दायरों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने तथा बनाए रखने के लिए कंपनी का प्रबंधन जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रणों का डिजाइन कार्यान्वयन तथा रख-रखाव शामिल है, जो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अपेक्षित कंपनी की नीतियों का अनुपालन, कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों का पता लगाना और उनका रोकथाम, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय सूचना की समय से तैयारी सहित कंपनी के व्यवसाय का व्यवस्थित और प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावपूर्ण तरीके से संचालन कर रहे थे।

लेखापरीक्षकों के दायित्व

हमारा दायित्व हमारे लेखापरीक्षा पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय देना है। वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शी नोट") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट तथा कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित किये जाने हेतु उपयुक्त तथा आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी लेखापरीक्षा पर मानकों - दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा हेतु लागू तथा दोनों भारतीय चार्टरित लेखाकार संस्थान द्वारा जारी - जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा के लिए जहाँ तक लागू हो, के अनुसार, हमने अपना लेखापरीक्षा संपादित किया। उन मानकों तथा मार्गदर्शी नोट की अपेक्षा यह है कि हम आचार नीति संबंधित आवश्यकताओं तथा योजना का अनुपालन करें तथा तर्कसंगत आश्वासन पाने के लिए कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित किया गया तथा उन्हें बनाए रखा गया, और क्या ऐसे नियंत्रण सभी तथ्यात्मक पहलुओं में प्रभावपूर्ण तरीके से संचालित किये गए, हम लेखा परीक्षण करते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उनकी प्रचालन प्रभावपूर्णता के बारे में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए हमारी लेखापरीक्षा में निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रणों के हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को समझना, किसी तथ्यात्मक गलती के होने के जोखिम का अनुमान लगाना, तथा अनुमानित जोखिम पर आधारित डिजाइन की जाँच तथा राय करना और आंतरिक नियंत्रण की प्रभावोत्पादकता का संचालन करना शामिल था। चयनित प्रक्रियाएं धोखाधड़ी या गलती के चलते वित्तीय विवरणों की तथ्यात्मक अशुद्धता के जोखिम के अनुमान सहित लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा राय का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त तथा उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

किसी कंपनी का वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सामान्यता स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा वित्तीय विवरण को तैयार करने के बारे में सुसंगत आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाई गयी एक प्रक्रिया होती है। किसी कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जो (1) उन अभिलेखों के रख-रखाव के बारे में है, जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन तथा निपटान को पूर्ण विवरण के साथ सही-सही दर्शाते हैं; (2) सुसंगत आश्वासन देते हैं कि सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए सभी लेन-देन आवश्यक रूप से दर्ज किये जाते हैं; तथा कंपनी की प्राप्तियाँ और खर्चे कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के अनुमोदन के अनुसार बनायी जा रही हैं; तथा (3) कंपनी की उन परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण का समय से जाँच तथा रोकथाम, उपयोग, या निपटान के बारे में सुसंगत आश्वासन देता है, जिनका वित्तीय विवरणों पर तथ्यात्मक प्रभाव हो सकता था।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं:

नियंत्रणों के टकराव की संभावना या अनुचित प्रबंधन सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण धोखाधड़ी या गलती के चलते तथ्यात्मक अशुद्धि हो सकती है तथा जिसका पता भी नहीं लगाया जा सकता। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी राय का प्रक्षेपण जोखिम के अधीन है तथा शर्तों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन में कमी आ सकती है।

राय

हमें प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर हम पाते हैं कि कंपनी ने सभी तथ्यात्मक पहलुओं पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को बनाये रखा है तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट मे बताए गए आंतरिक नियंत्रण पर आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग दायरों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च 2020 को प्रभावपूर्ण तरीके से प्रचालन कर रहे थे।

कृते पाल एवं शानभोग
चार्टरित लेखाकार
फर्म का पंजीकरण सं.: 002528S

PAL & SHANBHOGUE FRN:002528S Bengaluru Chartered Accountants

के.आर. शानभोग
साझेदार
सदस्यता सं.: 018578
यू.डी.आई.एन.: 20018578AAAAAY2776

दिनांक: 8 अक्तूबर 2020
हस्ताक्षर स्थान: बेंगलूरु

अनुलग्नक ग

स्वतंत्र लेखापरीक्षक के रिपोर्ट के लिए

31 मार्च 2020 को समाप्त हो रही अवधि के लिए "न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड" (कंपनी) के सदस्यों के लिए उसी दिनांक के हमारे रिपोर्ट "अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" में उल्लेखित।

कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 143 (5) के तहत निर्देश

क्र.सं.	निर्देश	लेखापरीक्षक की टिप्पणी
1	क्या कंपनी के पास आई.टी. प्रणाली के जरिए सभी लेखा लेन-देन तैयार करने के लिए कोई प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ-साथ लेखा की विश्वसनीयता पर आई.टी. प्रणाली के बाहर लेखा लेन-देन करने के निहितार्थ को भी बताया जाए।	हमारी राय में तथा हमें प्राप्त सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास आई.टी. प्रणाली के जरिए सभी लेखा लेन-देन करने की एक प्रणाली है।
2	क्या कंपनी की ऋण चुकाने की असमर्थता के चलते ऋणदाता द्वारा वर्तमान ऋण या मामले या ऋण हेतु बट्टे खाते/ऋण/ब्याज आदि पर कोई प्रतिबंध लगाया गया है? यदि हाँ, तो इसके वित्तीय प्रभाव को बताया जाए।	कंपनी के पास कोई ऋण नहीं है, अत: यह खंड कंपनी पर लागू नहीं होता।
3	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशेष योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त करने योग्य निधि का इसकी शर्तों एवं निबंधनों के अनुरूप समूचित ढंग से लेखा-जोखा/उपयोग किया गया? इससे विचलन के मामलों को बताए।	कंपनी ने केंद्रीय/राज्य एजेंसियों विशेष योजनाओं के लिए ना कोई निधि प्राप्त की है ना ही इसके पास ऐसी कोई प्राप्त करने योग्य निधि है।

कृते पाल एवं शानभोग
चार्टरित लेखाकार
फर्म का पंजीकरण सं.: 002528S

PAL & SHANBHOGUE
FRN:002528S
Bengaluru
Chartered Accountants

के.आर. शानभोग
साझेदार
सदस्यता सं.: 018578
यू.डी.आई.एन.: 20018578AAAAAY2776

दिनांक: 8 अक्तूबर 2020
हस्ताक्षर स्थान: बेंगलूरु

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनसिल) के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के तहत, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग कार्यढ़ाँचे के अनुसार, 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनसिल) के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इस अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत, निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत, वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करने हेतु इस अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षक उत्तरदायी है। यह उल्लेख किया जाता है कि ऐसा उनकी 08 अक्तूबर 2020 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से, 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एनसिल के वित्तीय विवरणों का इस अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के तहत, एक पूरक लेखापरीक्षा का कार्य संपादन किया है। इस पूरक लेखापरीक्षा के कार्य को वैधानिक लेखापरीक्षकों के कार्यकारी दस्तावेजों की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है। यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखापरीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ एवं लेखाकरण रिकार्डों के कुछ चयनित जाँचों तक सीमित रहेगा। मेरे द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने नहीं आया है, जिस पर कोई टिप्पणी की जा सकती है अथवा वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर पूरक के रूप में शामिल किया जा सकता है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
के लिए तथा की ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 15-12-2020

हस्ता/-
लेखापरीक्षा महानिदेशक
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग

31 मार्च, 2020 के अनुसार तुलन पत्र

[राशि: रु. लाख में]

	विवरण	नोट सं	31.03.2020 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि तक के आंकड़े
क	**इक्विटी एवं देयताएं**		
1	**शेयरधारकों की निधि**		
	(क) शेयर पूँजी	3.1	1,000.00
	(ख) आरक्षित निधि तथा अधिशेष	3.2	5,129.45
			6,129.45
2	**गैर-वर्तमान देयता**		
	(क) आस्थगित कर देयताएं [निवल]	7	1.08
			1.08
3	**वर्तमान देयताएं**		
	(क) कारोबार देय	3.3	
	(क) सूक्ष्म उद्यम एवं लघु उद्यम का कुल बकाया देय; और		2.22
	(ख) सूक्ष्म उद्यम एवं लघु उद्यम के सिवाय अन्य लेनदारों का कुल बकाया देय		11,234.90
	(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	3.4	4,346.19
	(ग) अल्पावधि प्रावधान	3.5	96.23
			15,679.54
	कुल		**21,810.07**
ख	**परिसंपत्तियां**		
1	**गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां**		
	(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण		
	(i) मूर्त परिसंपत्तियां	3.6	52.14
	(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां	3.7	6.18
	(iii) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	3.8	7.54
	(ख) अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	3.9	6,213.97
			6,279.83
2	**वर्तमान परिसंपत्तियां**		
	(क) कारोबार प्राप्य राशियां	3.10	4,481.47
	(ख) नकद एवं बैंक शेष	3.11	6,336.75
	(ग) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	3.12	4,712.02
			15,530.24
	कुल		**21,810.07**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां संलग्न नोट वित्तीय विवरण का एक अभिन्न भाग है हमारी संलग्न समसंख्यक रिपोर्ट के अनुसार		**2.2**	

कृते मेसर्स पाल एवं शानभोग
चार्टरित लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन सं. : 002528S

निदेशक बोर्ड के लिए एवं निदेशक बोर्ड की ओर से

हस्ता/-
के.आर. शानभोग
भागीदार
आई.सी.ए.आई. सदस्यता सं. 18578
बेंगलूरु
दिनांक: 08.10.2020

हस्ता/-
नारायणन गोपालकृष्णन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी.आई.एन.: 08686600
बेंगलूरु
दिनांक: 08.10.2020

हस्ता/-
राधाकृष्णन दुरैराज
निदेशक
डी.आई.एन.: 08382973
बेंगलूरु
दिनांक: 08.10.2020

31-03-2020 को समाप्त अवधि का लाभ तथा हानि लेखा

[राशि: रु. लाख में]

	विवरण	नोट सं	06.03.2019 से 31.03.2020 की वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि तक के आंकड़े
I	प्रचालनों से राजस्व	4.1	31,644.27
II	अन्य आय	4.2	514.87
III	**कुल राजस्व (I+II)**		**32,159.14**
IV	**व्यय**		
	(क) प्रचालनों से राजस्व की लागत	4.3	24,995.25
	(ख) कर्मचारी हितकारी व्यय	4.4	167.49
	(ग) मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	4.5	10.15
	(घ) अन्य व्यय	4.6	129.24
	कुल व्यय		**25,302.13**
V	**अपवादात्मक एवं विशेष मद तथा कर पूर्व लाभ (III-IV)**		6,857.01
VI	अपवादात्मक मदें		-
VII	**असाधारण मदें तथा कर पूर्व लाभ (V - VI)**		**6,857.01**
VIII	विशेष मद		-
IX	**कर के पहले लाभ (VII - VIII)**		**6,857.01**
X	**कर व्यय:**		
	(1) वर्तमान कर		1,726.48
	(2) स्थागित कर	6	1.08
XI	**प्रचालन जारी रखने की अवधि के लिए लाभ / (हानि) (VII - VIII)**		**5,129.45**
XII	**प्रचालन बंद करने के समय की अवधि के लिए लाभ / (हानि)**		-
XIII	**प्रचालन बंद करने पर कर व्यय**		-
XIV	**प्रचालन बंद करने से लाभ / (हानि) (कर के बाद) (XII - XIII)**		-
XV	**अवधि के लिए लाभ / (हानि) (XI + XIV)**		**5,129.45**
XVI	**प्रति शेयर अर्जन**		
	(1) मूल	5	51.29
	(2) विलयित	5	51.29
	महत्वपूर्ण लेखा नीतियां संलग्न नोट वित्तीय विवरण का एक अभिन्न भाग है हमारी संलग्न समसंख्यक रिपोर्ट के अनुसार	**2.2**	

कृते मेसर्स पाल एवं शानभोग
चार्टरित लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन सं. : 002528S

निदेशक बोर्ड के लिए एवं निदेशक बोर्ड की ओर से

हस्ता/-
के.आर. शानभोग
भागीदार
आई.सी.ए.आई. सदस्यता सं. 18578
बेंगलूरु
दिनांक: 08.10.2020

हस्ता/-
नारायणन गोपालकृष्णन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी.आई.एन.: 08686600
बेंगलूरु
दिनांक: 08.10.2020

हस्ता/-
राधाकृष्णन दुरैराज
निदेशक
डी.आई.एन.: 08382973
बेंगलूरु
दिनांक: 08.10.2020

31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि हेतु नकद प्रवाह लेखा

[राशि: रु. लाख में]

	विवरण		31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि के लिए
क	**प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह**		
	कर पूर्व निवल लाभ/ (हानि)		6,857.01
	जोड़े: मूल्यह्रास एवं परिशोधन		10.15
	घटाएं: प्राप्त ब्याज		(468.07)
	कार्यकारी पूंजी परिवर्तन के पहले प्रचालन लाभ		**6,399.09**
	कार्यकारी पूंजी में परिवर्तन		
	अन्य गैर-वर्तमान संपत्तियों का (बढ़ना)/ घटना		-6,213.97
	अन्य वर्तमान संपत्तियों का (बढ़ना)/ घटना		-4,712.02
	व्यापार प्राप्य राशियों का (बढ़ना)/ घटना		-4,481.47
	व्यापार देयताओं का बढ़ना/ (घटना)		11,237.12
	अन्य वर्तमान देयताओं का बढ़ना/ (घटना)		4,346.19
	अल्पकालीन प्रावधानों का बढ़ना/ (घटना)		96.23
	कार्यकारी पूंजी में निवल परिवर्तन		**272.08**
	प्रचालन से उत्पन्न नकद		6,671.17
	घटना: प्रत्यक्ष कर भुगतान		-1,726.48
	प्रचालन गतिविधियों से निवल नकद	[क]	**4,944.69**
ख	**निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	अचल संपत्ति का अभिग्रहण		-76.01
	जमा पर प्राप्त ब्याज		468.07
	निवेश गतिविधियों से निवल नकद	[ख]	**392.06**
ग	**वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	शेयर जारी करना		1,000.00
	वित्तीय गतिविधियों से निवल नकद	[ग]	**1,000.00**
	वर्ष के दौरान नकद तथा नकद तत्समान में निवल बढ़ोत्तरी [क+ख+ग] =	[घ]	**6,336.75**
	वर्ष के शुरुआत में नकद तथा नकद तत्समान	[ङ]	-
	वर्ष के अंत में नकद तथा नकद तत्समान (घ + ङ) [नोट 3.11 का संदर्भ लें]		**6,336.75**

उपरोक्त नकद प्रवाह लेखा "अप्रत्यक्ष पद्धति" के तहत तैयार किया गया है, जो कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 द्वारा जारी ए.एस.-3 "नकद प्रवाह विवरण" में दिया गया है।

संलग्न नोट वित्तीय विवरण का एक अभिन्न भाग है
हमारी संलग्न समसंख्यक रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स पाल एवं शानभोग
चार्टरित लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन सं. : 002528S

निदेशक बोर्ड के लिए एवं निदेशक बोर्ड की ओर से

हस्ता/-
के.आर. शानभोग
भागीदार
आई.सी.ए.आई. सदस्यता सं. 18578
बेंगलूरु
दिनांक: 08.10.2020

हस्ता/-
नारायणन गोपालकृष्णन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी.आई.एन.: 08686600
बेंगलूरु
दिनांक: 08.10.2020

हस्ता/-
राधाकृष्णन दुरैराज
निदेशक
डी.आई.एन.: 08382973
बेंगलूरु
दिनांक: 08.10.2020

वित्तीय विवरण का भाग बनाने वाले नोट

नोट 1

कॉर्पोरेट सूचना:

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (अब से ***"कंपनी"*** के रूप में उल्लेखित) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत 6 मार्च 2019 को शामिल की गई एक कंपनी है, जिसका उद्देश्य भारत या विश्व के किसी हिस्से में औद्योगिक, घरेलू, वैज्ञानिक, वाणिज्यिक या किसी प्रकृति के सभी एवं प्रत्येक प्रकार के वांतरिक्ष, वैमानिकीय, इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, रसायनिक, प्रकाशिक और/या पर्यावरणीय उपकरण, प्रणालियों, युक्तियों, उत्पादों, उपकरणों का निर्माण, संयोजन, फिटिंग, मरम्म्त, रूपांतरण, पूर्ण मरम्मत, रख-रखाव, परामर्श, एजेंसी, सभी प्रकार एवं विवरण की सेवाएं प्रदान करना, क्रय, विक्रय, आयात, निर्यात, मंगवाने, बदलने, काम पर लगाने, संशोधन करने, मरम्मत करने तथा सौदा करने से संबंधित सभी प्रकार के व्यावसाय को चलाना है।

नोट 2

2.1 तैयारी का आधार

क अनुपालन का विवरण

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 ("2013 अधिनियम") / कंपनी अधिनियम, 1956 ("1956 अधिनियम") जो भी लागू हों, के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ पढ़ें जाने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करने के लिए भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (भारतीय जी.ए.ए.पी.) के अनुसार कंपनी का वित्तीय विवरण तैयार किया गया। ऐतिहासिक लागत प्रथा के तहत संभूति आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किया गया।

ख अनुमानों और निर्णयों का उपयोग

मान्यता और मापन सिद्धांत के अनुपालन में वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए कंपनी के प्रबंधन को अनुमान, निर्णय और पूर्वधारणा बनानी पड़ती है। ये अनुमान, निर्णय और पूर्वधारणाएं लेखा नीतियों के उपयोग, परिसंपत्तियों और दायित्वों की रिपोर्ट की गई राशि, वित्तीय विवरण की तिथि को समाश्रित परिसंपत्तियों तथा दायित्वों के प्रकटीकरण तथा उस अवधि के दौरान राजस्व एवं खर्चों की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करती हैं। लेखा अनुमान अवधि दर अवधि परिवर्तित हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम उन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। जब प्रबंधन को अनुमानों के आस-पास परिस्थितियों के परिवर्तनों का पता चलता है, तब अनुमानों में समुचित परिवर्तन किए जाते हैं। जिस अवधि में हुए परिवर्तनों को दर्शाया जाता है तथा यदि ये परिवर्तन तथ्यात्मक हैं, तो वित्तीय विवरण से उस नोट में उनके प्रभाव को बताया जाता है।

ग नगद प्रवाह विवरण

नगद प्रवाह अप्रत्यक्ष विधियों के जरिए रिपोर्ट किये जाते हैं, जिनसे वर्ष के लाभ गैर-नगदी लेन-देन, निवेश नगद पावतियों या भुगतानों का संचालन करते अतीत या भविष्य के किसी आस्थगनों या संभूतियों तथा नगद प्रवाहों के निवेश या वित्तपोषण से संबंधित आय या खर्चों के मद के प्रभावों के लिए समायोजित किये जाते हैं। कंपनी की प्रचालन, निवेश तथा वित्तपोषण गतिविधियों से नगद प्रवाह को अलग किया जाता है। कंपनी उन सभी उच्च सरल निवेशों पर ध्यान देती है, जो आसानी से नगद और नगद के समान ज्ञात राशियों में परिवर्तित किये जाते हैं।

2.2 महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ:

क राजस्व मान्यता

नियत मूल्य संविदाओं को पूर्ण करने में हुई उन्नति का पता लगाने के लिए संविदा में हुई सहमति के अनुसार, कंपनी गतिविधि के समापन के महत्वंपूर्ण चरणों का उपयोग करते हुए समापन विधियों के प्रतिशत का इस्तेमाल करती है। समापन विधि लेखा का प्रतिशत कुल अपेक्षित संविदा राजस्व तथा लागत के अनुमानों पर निर्भर करता है। इस विधि को तब अपनाया जाता है, जब संविदा के विभिन्न पहलुओं पर लागू राजस्व तथा लागत का सुसंगत ढ़ंग से निर्भर होने योग्य अनुमान बनाया जा सके। चूँकि इन संविदाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग उन अनुमानों पर निर्भर करती है, जिनका इन संविदाओं की मियाद के दौरान निरंतर आंकलन किया जाता है, अत: जैसे-जैसे संविदा समापन की ओर बढ़ती है, मान्यता प्राप्त राजस्व और लाभ में संशोधन हो सकता है।

i) **बिक्री**:

सुपुर्द की जाने वाले सामग्रियों की ग्राहकों या उनके नियत किये गए/संविदा की गई परियोजना को सुपुर्दगी के समय सभी अप्रत्यक्ष करों का कुलयोग, अर्थात राजस्व, की गणना की जाती है। हालाँकि, यदि ग्राहक के अनुरोध पर सुपुर्दगी विलंब से की जाती है और ग्राहक इसकी जिम्मेदारी लेता है और बिलों को स्वीकार करता है, तो राजस्व मान्य होता है, बावजूद इसके कि सुपुर्दगी वास्तव में तब तक नहीं हुई है और यह अपेक्षा होती है कि सामग्री की सुपुर्दगी की जाएगी तथा यह उपलब्ध है और इसे चिह्नित किया जा चुका है तथा यह सुपुर्द की जाने वाली है, और यदि सुपुर्दगी, लगाये जाने/निरीक्षण जैसी शर्तों के अधीन है, तो राजस्व तब तक मान्य नहीं होता जब तक कि ग्राहक सुपुर्दगी स्वीकार नहीं करता और लगाये जाने/निरीक्षण का कार्य पूरा नहीं होता।

ii) **सेवाएं**

क) **प्रमोचन, संस्थापन, कमीशनिंग तथा परीक्षण**

संविदा की अपेक्षानुसार, सभी अप्रत्यक्ष करों के विशुद्ध योग अर्थात राजस्व को गतिविधि के पूर्ण होने के महत्वपूर्ण समय/चरण के संदर्भ में मान्यता दी जाती है।

ख) **एक्सेस शुल्क, अंतरिक्ष खंड, मिशन सहायता आदि**

एकल या आवर्ती सेवा के रूप में संविदा हुई सेवा के उपलब्ध कराने या आवधिक रूप से सेवा की प्रकृति के अनुसार सभी अप्रत्यक्ष करों के विशुद्ध योग अर्थात राजस्व को तुरंत मान्यता दी जाती है।

ग) **परामर्श**

संविदा के अंतर्गत परामर्श देने या आवधिक रूप से परामर्श की प्रकृति के अनुसार राजस्व को तुरंत मान्यता दी जाती है।

iii) **संयुक्त संविदाएं**

ऊपर मद (i) और (ii) में उल्लेखित नीति के तहत संयुक्त संविदा की प्रत्येक वस्तु के लिए राजस्व की मान्यता दी जाती है।

iv) **अन्य आय**

क) **ब्याज**

ब्याज आय को संभूति आधार पर मान्यता दी जाती है। तथापि, व्यापार में प्राप्त होने वाले ब्याज आय को प्राप्ति आधार पर मान्यता दी जाती है।

ख) **रॉयल्टी**

स्वामिस्व/रॉयल्टी की लेखा ग्राहकों से प्राप्ता स्वीकार्यता के आधार पर संभूति पर की जाती है।

ग) **निवेशों पर लाभांश**

जब कंपनी का भुगतानों को प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है, तब निवेश पर लाभांश की मान्यता दी जाती है।

ख विदेशी मुद्रा का लेन-देन

विदेशी मुद्रा लेन-देन, लेन-देन तिथि के विनिमय दर को लागू करके प्रकार्यात्मक मुद्रा में रिकार्ड की जाती है। कंपनी की प्रकार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपया है।

विदेशी मुद्रा मूल्य वर्गित आर्थिक परिसंपत्तियों तथा जिम्मेदारियों को शेष राशि शीट तिथि को लागू विनिमय दरों पर प्रासंगिक प्रकार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। ऐसे परिवर्तनों के परिणामस्वरूप लाभ या हानि को लाभ-हानि विवरण में दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित तथा परंपरागत लागत में मापित गैर-आर्थिक परिसंपत्तियों तथा मुद्रेतर जिम्मेमदारियों को पुन: परिवर्तित नहीं किया जाता है।

ग संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण

- मान्यता एवं मापन

संपत्ति, संयत्र तथा उपकरण कम संचयित अवमूल्यन और संचयित हानि, यदि कोई हो, लागत पर नियत किये जाते है।

संपत्ति, संयत्र तथा उपकरण की लागत में व्यापार छूट, छूट तथा किसी उपकरण के वांछित उपयोग के लिए इसको कार्य योग्य बनाने में प्रत्यक्षत: शामिल लागत को घटाने के बाद आयात शुल्क तथा अप्रतिदेय खरीद करों सहित इनका खरीद मूल्य शामिल है।

यदि संपत्ति, संयत्र तथा उपकरण के किसी एक वस्तु के महत्वपूर्ण हिस्सों के अलग उपयोगी अवधि है, तो उन्हें संपत्ति, संयत्र एवं उपकरण की अलग वस्तुओं (प्रमुख घटकों) के रूप में लिया जाता है।
संपत्ति, संयत्र एवं उपकरण के किसी एक वस्तु के निपटान में हुए लाभ या हानि को लाभ-हानि के विवरण में दर्ज किया जाता है।

-उत्तरवर्ती खर्चे

यदि खर्च से संबंधित भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्य होना संभव हो, तो उत्तरवर्ती खर्च को पूंजी में शामिल किया जाता है।

घ अमूर्त अचल परिसंपत्तियाँ

अमूर्त परिसंपत्तियाँ कम संचयित परिशोधन तथा हानि लागत पर नियत की जाती हैं। अमूर्त परिसंपत्तियों के उपयोग हेतु उनकी उपलब्धता तिथि से उनके क्रमश: अलग-अलग अनुमानित उपयोगी अवधि तक ऋण परिशोधन किया जाता है।

मान्यता योग्य अमूर्त परिसंपत्ति की अनुमानित उपयोगी अवधि कुछ एक कारकों पर आधारित होती है, जिनमें अप्रचलन, मांग, प्रतिस्पर्धा और अन्य आर्थिक कारकों (जैसे उद्योग की स्थिरता तथा ज्ञात प्रौद्योगिकीय अग्रिम) के प्रभाव तथा परिसंपत्ति से आने वाला अपेक्षित भावी नगद प्रवाह प्राप्त करने के लिए आवश्यक रख-रखाव खर्चे का स्तर शामिल है। ऋण परिशोधन विधियों तथा उपयोगी अवधियों की प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है।

आंतरिक रूप से या आंतरिक इस्तेमाल हेतु तैयार किए गए सॉफ्टवेयर को, जोकि संबंधित हार्डवेयर का एक आंतरिक भाग नहीं होता, अमूर्त परिसंपत्तिय के रूप में जाना जाता है तथा इसकी लागत का सीधे तौर पर 5 वर्ष की अवधि में ऋण परिशोधन किया जाता है। जब परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है, तब ही ऋण परिशोधन शुरू होता है। जहां कहीं अमूर्त परिसंपत्तियों (चाहे महत्वपूर्ण हो या नहीं) की उपयोगी अवधि का अनुमान लगाना संभव नहीं होता, तो लागत, खरीद वर्ष में रद्द कर दी जाती है। अमूर्त परिसंपत्तियों पर अपक्षय की वार्षिक रूप से समीक्षा की जाती है तथा जब अपक्षय के संकेत होते हैं, तो वह परिसंपत्ति क्षीण हो जाती है।

ङ मूल्यह्रास एवं परिशोधन:

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित अनुसार सीधी रेखा पद्धति (स्ट्रेट लाईन मेथड) अथवा परिसंपत्तियों की अनुमानित उपयोगी जीवन काल के अनुसार प्रबंधन द्वारा निर्धारित दरों, जो भी अधिक हो, के अनुसार प्रदान किया गया है।

प्रत्येक तौर पर रु. 5,000/- रुपए से कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों का क्रय के वर्ष में पूर्ण रूप से मूल्यह्रास हुआ।

कंपनी प्रबंधन की इच्छानुसार मूल्य ह्रास की गणना के उद्देश्य के लिए परिसंपत्ति की लागत का 1% उसके अपशिष्ट मूल्य के रूप में विचार करती है। अधिकतम सीमा तक मूल्य ह्रास करना उपयुक्त होगा। अमूर्त परिसंपत्तियों के मामले में अपशिष्ट मूल्य शून्य माना गया है।

परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल निम्नानुसार है:

विवरण	उपयोगी जीवन काल
भवन (विद्युत प्रणालियाँ)	10 वर्ष
भवन (आंतरिक)	3 वर्ष
भवन (अस्थाई संरचनाएँ)	3 वर्ष
फर्नीचर तथा उपस्कर	10 वर्ष
कंप्यूटर तथा पेरिफेरल	3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	5 वर्ष
संचार प्रणालियाँ	3 वर्ष

च माल - सूचियाँ

कच्चा माल, चालू कार्य तथा तैयार माल को कम मूल्य पर आँका जाता है तथा वास्तविक मूल का अनुमान किया जाता है। वस्तुओं की लागत फर्स्ट-इन-फर्स्ट आऊट फार्मूला के आधार पर तय किया जाता है तथा माल-सूचियाँ के अर्जन में एवं उन्हें वर्तमान स्थान एवं स्थिति पर लाने हेतु किए गए अन्य खर्च में शामिल है। चालू कार्य तथा तैयार माल के मामले में, लागत में परिवर्तन खर्च शामिल हैं।

छ निवेश

शुरुआती निर्धारण में, सभी निवेशों को लागत के आधार पर मापा जाता है। लागत में क्रय की कीमत तथा दलाली तथा शुल्क जैसे प्रत्यक्ष रूप से होने वाले अर्जन जैसे प्रभार शामिल होते हैं।

अर्जन के दिनांक से तीन माह के भीतर परिपक्व हो रहे हैं निवेश को नकद समतुल्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यदि उन्हें पहले से नकद के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। पहले से तैयार निवेश तथा जिन्हें अर्जन के दिनांक से एक वर्ष से अधिक समय के लिए धारित नहीं किया जाएगा, उन्हें चालू निवेशों के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। अन्य सभी निवेशों को दीर्घ-कालीन निवेश के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। तथापि, दीर्घ-कालीन निवेशों का वह भाग, जिनकी रिपोर्टिंग दिनांक के बाद 12 महीनों के भीतर पूरा होना अपेक्षित है, को भी "दीर्घ-कालीन निवेशों के चालू भाग के तौर पर चालू परिसंपत्तियाँ" के तहत प्रस्तुत किया गया है।

दीर्घ-कालीन निवेश (उसके वर्तमान भाग सहित) को प्रबंधन द्वारा वसूली तथा उसे पूरा करने के मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक व्यक्तिगत निवेश के लिए अलग से निर्धारित करने के बाद किया जाता है। वर्तमान निवेश लागत तथा उचित मूल्य के निम्न स्तर पर किये जाते हैं।

रखाव राशि में किसी भी प्रकार की कमी तथा ऐसी कमियों के किसी भी प्रकार के बदलाव को लाभ एवं हानि के कथन में प्रभारित अथवा जमा किया जाता है।

ज व्यापार प्राप्य राशियाँ

प्राप्य राशियाँ संविदा के तहत, बिना शर्त विचार किए जाने वाले कंपनी के अधिकार को दर्शाती है। विचार किए जाने का अधिकार बिना शर्त वाली तभी मानी जाती है, जब उस विचार पर भुगतान के पूर्व समय की आवश्यकता होती है।

सरकारी विभागों से लिए गए कर्ज़ सामान्यत: पूर्ण रूप से वसूली योग्य माने जाते हैं, और इसलिए कंपनी ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों के जमा जोखिम की पहचान नहीं करती है। किसी महत्वपूर्ण अवधि के लिए बकाया देय के संबंध में प्रत्येक मामले के आधार पर अपेक्षित जमा हानि के कारण क्षति का मूल्यांकन किया जा रहा है।

झ पट्टे

वे पट्टा व्यवस्थाएँ, जहाँ किसी परिसंपत्ति के प्रासंगिक स्वामित्व का जोखिम तथा लाभ पट्टाकार के पास होता है, जिन्हें प्रचालनात्मक पट्टे कहा जाता है। प्रचालनात्मक पट्टों के तहत पट्टे का किराया सरल तरीके के आधार पर लाभ एवं हानि के कथन में दर्शाया जाता है।

ञ प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ

जब भी किसी उद्यम के पास किसी पूर्व की घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान में कोई दायित्व हो, तो उसके लिए प्रावधान बनाया जाता है; ऐसी संभावना है कि उन दायित्वों को पूरा करने के लिए संसाधनों के प्रवाह की आवश्यकता होगी, जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान बनाया जा सकता है। इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन-पत्र दिनांक पर की जाती है तथा मौजूदा उत्तिम अनुमान को दर्शाने के लिए उनका समायोजन किया जाता है।

दुर्वह संविदाओं, अर्थात वे संविदाएं, जहाँ संविदा के तहत दायित्वों का पूरा करने का अपेक्षित अपिहार्य लागत उसके तहत प्राप्ती होने वाली अपेक्षित आर्थिक लाभों से अधिक हो, के लिए प्रावधान बनाए गए हैं, जहाँ यह संभव है कि किसी भी दायित्व वाली घटना के परिणामस्वरूप, ऐसी दायित्वों के उत्तम अनुमान के आधार पर, मौजूदा दायित्व को पूरा करने के लिए आर्थिक लाभों को शामिल करते हुए संसाधनों के प्रवाह की आवश्यकता होगी। जहाँ कोई भी विश्व्सनीय अनुमान नहीं बनाया जा सकता है, आकस्मिक दायित्व के तौर पर प्रकटन किया जाता है। यह प्रकटन आकस्मिक दायित्व के लिए भी किया जाता है, जब संभावित दायित्व अथवा मौजूदा दायित्व हो, लेकिन जिसके लिए संभवत: संसाधनों के प्रवाह की आवश्यकता न हो।

ट व्यापार तथा अन्य देयताएँ

प्राप्त-माल/सेवाओं के लिए भविष्य में भुगतान की जाने वाली राशि के लिए देयताओं की पहचान की जाती है।

ठ कंपनी द्वारा किये गये दावे

जब दावों को प्राथमिकता दी जाती है तथा उन्हें उस समय तक आगे बढ़ाया जाता है, जब कंपनी के पास ऐसी राशियों को प्राप्ति करने का विधिक अधिकार होता है, तो नुकसान या क्षति के लिए आपूर्तिकर्ताओं पर दावों, निर्यात छुट हेतु दावे, शुल्क वापसी तथा प्रतिदायों हेतु सीमा-शुल्क विभाग पर दावे की गणना की जाती है।

ड आय पर कर

आय पर करों में वर्तमान तथा अस्थगित आयकर आते हैं।

वर्तमान कर:

वर्तमान और पहले की अवधियों के लिए वर्तमान आयकर को उस राशि पर स्वीकार किया जाता है, जिसे तुलन-पत्र तिथि द्वारा लागू कर के दरों तथा नियमों का उपयोग करते हुए कर प्राधिकारियों को चुकाए जाने या उनसे प्राप्त किये जाने की अपेक्षा होती है। वर्तमान कर की राशि उस कर राशि के बेहतरीन अनुमान को दर्शाती है, जिसे आय करों से संबंधित अनिश्चितताओं, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद चुकता या प्राप्त किये जाने की अपेक्षा होती है। इसकी गणना रिपोर्टिंग दिनांक तक लागू कर दरों (और कर नियमों) का उपयोग करते हुए की जाती है।

यदि स्वीकृत राशियों को शुरू करने के लिए लागू योग्य प्रवर्तनीय अधिकार हैं तथा विशुद्ध आधार पर या निरंतर रूप से परिसंपत्तियों को साकार करने तथा दायित्व को पूरा करने का इरादा है, तो वर्तमान कर परिसंपत्तियों तथा वर्तमान कर दायित्वों की क्षतिपूर्ति की जाती है।

आस्थगित कर:

आस्थगित कर को वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए परिसंपत्तियों एवं जिम्मेदारियों की वहनीय राशियों तथा कराधान के लिए उपयोग की गई संबंधित राशियों के बीच अस्थायी अंतरो के संबंध में स्वीकार किया जाता है।

आस्थगित कर आगे बढ़ाई गई कर हानियों तथा कर जमा राशियों के संबंध में भी स्वीकार किया जाता है। ऐसा लेन-देन जो व्यवसाय सुमेलित नहीं है तथा जो लेन-देन के दौरान न तो लेखा ना ही करयोग्य लाभ या हानि को प्रभावित करता है, उसमें परिसंपत्तियों या दायित्वों की प्रारंभिक मान्यता के चलते उपजे अंतरों के लिए, तथा सदिच्छा की प्रारंभिक मान्यता/स्वीकार्यता के कारण हुए करयोग्य अस्थायी अंतरो के लिए आस्थागित कर की मान्यता नहीं होती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि भावी करयोग्य लाभों के होने की संभावना हो तथा जिस पर उनका उपयोग किया जा सके। मान्यता प्राप्त या गैर-मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्तियों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है तथा उन्हें मान्यता दी जाती है/ उन्हें उस सीमा तक घटाया जाता है कि संबंधित कर लाभ के होने की संभावना होती है/ नहीं होती है।

आस्थगित कर की गणना उन कर दरों पर की जाती है, जिनके उस अवधि के दौरान लागू होने की अपेक्षा होती है, जब परिसंपत्ति रिपोर्टिंग तिथि तक लागू नियमों के आधार पर साकार की जाती है या दायित्व तय किया जाता है।

रिपोर्टिंग तिथि को कंपनी की परिसंपत्तियों और जिम्मेदारियों की वहनीय राशि की प्राप्ति या निपटान के लिए, आस्थगित कर की गणना कर परिणामों को उसी तरह दर्शाता है जैसे कंपनी चाहती है।

यदि वर्तमान कर दायित्वों और परिसंपत्तियों की क्षतिपूर्ति करने का विधिक रूप से लागू करने योग्य, अधिकार हो, तो आस्थगित कर परिसंपत्तियों तथा दायित्वों की क्षतिपूर्ति की जाती है, तथा वे उसी करयोग्य इकाई अलग कर इकाइयों पर उसी कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर करों से संबंधित हैं और वे विशुद्ध आधार पर वर्तमान कर दायित्वों और परिसंपत्तियों का निबटान करना चाहते हैं या उनकी कर परिसंपत्तियों और दायित्वों को साथ-साथ साकार किया जाएगा।

ढ नगद और नगद समतुल्य

नगद और नगद समतुल्य में प्रत्यक्ष नगद, बैंक में जमा राशि तथा तीन माह या उससे कम में पूर्ण होने वाला, नगद की ज्ञात राशियों में परिवर्तनीय तथा मूल्य परिवर्तनों के मामूली जोखिमों के अधीन लघु अवधि वाले निवेश शामिल हैं।

ण परिसंपत्तियों की क्षति

किसी क्षति के संकेत निर्धारित करने के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को परिसंपत्तियों के वहनीय मूल्य की समीक्षा की जाती है। यदि क्षति के कोई संकेत मिलते हैं, तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। ऐसी परिसंपत्तियाँ जो अभी उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं हैं, उनकी वसूली योग्य राशि का प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को अनुमान लगाया जाता है। जब कभी किसी परिसंपत्ति की वहनीय राशि या इसकी नगद कमाने वाली इकाई इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है, तो हानि दर्ज की जाती है। ऐसी हानियाँ लाभ-हानि विवरण में दर्ज की जाती हैं। ऐसी किसी हानि को वसूली योग्यी राशि निर्धारित करने के लिए उपयुक्त अनुमानों में परिवर्तन होने पर रद्द किया जाता है। ऐसी किसी हानि को उसी सीमा तक रद्द किया जाता है कि परिसंपत्ति की वहनीय राशि उस वहनीय राशि से अधिक न हो, जिसे शुद्ध अवमूल्यन या ऋण परिशोधन पर निर्धारित किया गया होता यदि कोई हानि दर्ज नहीं की जाती।

त संविदा संशोधन

जब कार्यक्षेत्र में परिवर्तन पर सहमति होती है, किंतु मूल्य में संबंधित परिवर्तन निर्धारित नहीं होता, तो संविदा में संशोधन किया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में, संशोधन से लेन-देन मूल्य में अनुमानित परिवर्तन के कंपनी के मूल्यांकन के आधार पर राजस्व दर्ज किया जाता है।

3] 31 मार्च 2020 को तुलन पत्र के भाग के रूप में जुड़ने वाले नोट

3.1 इक्विटी शेयर पूंजी

[राशि: रु. लाख में]

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि तक के आंकड़े
प्राधिकृत पूंजी	
रु. 10 प्रत्येक के 10,00,00,000 इक्विटी शेयर	10,000.00
जारी, अंशदान की गई तथा पूरी तरह से भुगतान की गई पूंजी	
रु. 10 प्रत्येक के 1,00,00,000 इक्विटी शेयर	1,000.00

3.1 (क) रिपोर्टिंग अवधि के शुरुआत तथा अंत में बकाया शेयरों की संख्या का पुन: समाधान

[राशि: रु. लाख में]

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि तक के आंकड़े	
	शेयरों की संख्या	राशि
रु.10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर		
अवधि की शुरुआत में बकाया शेयरों की संख्या	1,00,00,000	1,000.00
घटाएं: अवधि के दौरान पुन: खरीदे हुए शेयरों की संख्या	-	-
जोड़ें: अवधि के दौरान जारी किए गए शेयरों की संख्या	-	-
अवधि के अंत में बकाया शेयरों की संख्या	1,00,00,000	1,000.00

3.1 (ख) कंपनी में पांच से अधिक प्रतिशत शेयरों के धारकों की सूची

[राशि: रु. लाख में]

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि तक के आंकड़े	
	शेयरों की संख्या	धारण का %
इक्विटी शेयर		
भारत सरकार राष्ट्रपति तथा उसके नामिती	1,00,00,000	100.00
	1,00,00,000	100.00

3.1 (ग) कंपनी में वोटिंग अधिकार सहित इक्विटी शेयरों की केवल एक ही श्रेणी है, जिसका मूल्य रु. 10 प्रत्येक है। ऐसे इक्विटी शेयरों से संबद्ध अधिकार, प्राथमिकता एवं प्रतिबंध कंपनी अधिनियम, 2013 एवं कंपनी निर्माण के अनुच्छेदों के तहत इक्विटी शेयर जारी करने की शर्तों के अनुरूप हैं।

3.1 (घ) कंपनी संयोजन के अनुच्छेदों के अधीन सभी अधिकार (प्रति इक्विटी शेयर के लिए एक वोट के मताधिकार सहित), सभी प्राथमिकताएं एवं प्रतिबंध (इक्विटी शेयर के अंतरण पर प्रतिबंध सहित) अधिकार निदेशक बोर्ड के पास हैं। वार्षिक सामान्य बैठक में घोषणा के बाद बोर्ड द्वारा लाभांश प्रस्तुत किया जाएगा। करोत्तर लाभ का न्यूनतम 30% या निवल लाभ का 5%, जो भी अधिक होगा, उसे भारत सरकार में निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डी.आई.पी.एम.) के दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश के रूप में बांटा जाएगा तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पूंजी की अदायगी की जाएगी।

3.1 (ङ) विकल्पों के तहत जारी करने के लिए कोई भी शेयर आरक्षित नहीं है।

3.1 (च) तुलन-पत्र तिथि को कोई भी प्रतिभूति इक्विटी शेयर में बदलने योग्य नहीं है।

3.1 (छ) (क) नकद में भुगतान प्राप्त हुए बिना संविदाओं के अनुसार पूरी तरह से भुगतान किए गए आबंटित शेयरों की समुच्चय संख्या एवं श्रेणी : शून्य

(ख) बोनस शेयर के रूप में पूरी तरह से भुगतान किए गए आबंटित शेयरों की समुच्चय संख्या एवं श्रेणी : शून्य

(ग) पुन: खरीदे गए शेयरों की समुच्चय संख्या एवं श्रेणी : शून्य

3.2 आरक्षित निधि एवं अधिशेष

[राशि: रु. लाख में]

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि तक के आंकड़े
लाभ एवं हानि विवरण में अधिशेष / (घाटा)	
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष	-
जोड़ें: अवधि हेतु लाभ का अंतरण	5,129.45
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष	**5,129.45**

3.3 व्यापार देयताएं

[राशि: रु. लाख में]

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि तक के आंकड़े
(i) सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) को देय	2.22
(ii) एम.एस.एम.ई. के अतिरिक्त लेनदारों को देय	11,234.90
	11,237.12
अतिरिक्त ब्यौरा : कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम) के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के प्रति बकाया राशि का विवरण निम्नानुसार है:	
विवरण	
(1) मूल राशि, जो बकाया है या भुगतान नहीं की गई है	2.22
(2) उपरोक्त (1) पर देय ब्याज एवं भुगतान नहीं किया गया ब्याज	-
(3) एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम के तहत सभी विलंब भुगतानों पर भुगतान किया गया ब्याज	-
(4) वर्ष के दौरान निर्धारित दिन के बाद किए गए भुगतान	-
(5) उपरोक्त (3) के अतिरिक्त विलंब पर अवधि के लिए देय एवं भुगतान किया गया ब्याज	-
(6) उपार्जित तथा भुगतान नहीं किया गया ब्याज	-
(7) उस तिथि तक देय अतिरिक्त शेष तथा आगामी वर्षों में भुगतान करने योग्य ब्याज की राशि जब तक एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत काटने योग्य व्यय को अनुमति नहीं देने के उद्देश्य हेतु, लघु उद्यमों को वास्तविक भुगतान से उपर ब्याज देय है।	-

3.4 अन्य वर्तमान देयताएँ

[राशि: रु. लाख में]

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि तक के आंकड़े
ग्राहकों से अग्रिम	
- निर्यात बिक्री हेतु	19.38
- अंतरिक्ष खंड प्रभार हेतु	150.88
- घरेलू बिक्री हेतु	13.62
कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड	0.52
वेतन संबंधी बकाया	72.32
आई.सी.आर.डी. [इन्सैट क्षमता आरक्षण जमा]	8.25
सांविधिक देयताएं	4,078.18
अन्य देयताएं	3.04
	4,346.19

3.5 अल्पकालीन प्रावधान

[राशि: रु. लाख में]

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि तक के आंकड़े
अन्य आयकर हेतु प्रावधान	96.23
	96.23

3.6 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

[राशि: रु. लाख में]

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि तक के आंकड़े
भवन	10.31
फर्नीचर एवं फिक्सचर	16.83
कंप्यूटर एवं पेरीफेरल	15.64
कार्यालय उपकरण	7.54
संचार प्रणालियां	1.82
	52.14
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत के तथा अंत के सभी वर्गों की परिसंपत्तियों की राशियों सहित सकल एवं निवल का पुन:समाधान किया गया है, जो जोड़, निपटान, कारोबार संयोजन के माध्यम से अभिग्रहण तथा अन्य समायोजन तथा संबंधित मूल्यह्रास एवं हानि और उत्क्रमण को दर्शाता है, को अलग से प्रकट किया गया है।	

3.7 अमूर्त परिसंपत्तियां

[राशि: रु. लाख में]

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि तक के आंकड़े
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (ओरेकल)	6.18
	6.18
रिपोर्टिंग अवधि के शुरुआत की तथा अंत की सभी वर्गों की परिसंपत्तियों की राशियों सहित सकल एवं निवल का समाधान किया गया है, जो अतिरिक्त, निपटान, कारोबार संयोजन के माध्यम से अभिग्रहण अन्य समायोजन तथा संबंधित मूल्यह्रास एवं हानि और उत्क्रमण को दर्शाता है, को अलग से प्रकट किया गया है।	

3.8 विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

[राशि: रु. लाख में]

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि तक के आंकड़े
सॉफ्टवेयर (ऑनलाइन ग्राहक पोर्टल हेतु)	7.54
	7.54

3.9 अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां

[राशि: रु. लाख में]

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि तक के आंकड़े
जारी गारंटी के प्रति मार्जिन राशि के रूप में जमा	6,192.97
कॉर्पोरेट कार्ड के लिए गारंटी के रूप में जमा	21.00
	6,213.97

3.10 कारोबार से प्राप्य राशियां

[राशि: रु. लाख में]

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि तक के आंकड़े
क. छह महीने से कम की अवधि हेतु बकाया कारोबार प्राप्य राशियां	
- सुरक्षित, अच्छा माना गया	451.54
- असुरक्षित, अच्छा माना गया	3,977.06
ख. छह महीने से अधिक की अवधि हेतु बकाया कारोबार प्राप्य राशियां	
- असुरक्षित, अच्छा माना गया	52.87
	4,481.47

3.11 नकद एवं नकद समान

[राशि: रु. लाख में]

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि तक के आंकड़े
क) नकद एवं नकद समान	
i) बैंकों में शेष - चालू खाता में	614.18
ii) कर्मचारी के पास अग्रदाय नकद	0.14
ख) अन्य बैंक शेष	
जमा, जिसकी पूर्ण होने की अवधि 3 वर्ष से अधिक किंतु 12 महीनों से कम या बराबर है	5,722.43
	6,336.75

3.12 अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

[राशि: रु. लाख में]

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि तक के आंकड़े
बैंकों में जमा पर संचयित ब्याज	312.51
सरकारी प्राधिकारियों के पास शेष	
- परोक्ष कर परिसंपत्तियां	4,219.16
पूर्वप्रदत्त व्यय	180.35
	4,712.02

4.1 प्रचालनों से राजस्व

[राशि: रु. लाख में]

विवरण		06-03-2019 से 31-03-2020 की वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि तक के आंकड़े
क. सेवाओं की बिक्री		
(i) निर्यात		
प्रमोचन सेवाएं		28,253.96
मिशन सहायता सेवाएं		39.01
वैकल्पिक प्रमोचन सेवाएं		58.12
		28,351.09
(ii) घरेलू	**7.77**	
अंतरिक्ष खंड प्रभार - इन्सैट/ जीसैट	(6.99)	0.78
घटाएं: अं.वि. के लिए राजस्व का शेयर		
अंतरिक्ष खंड प्रभार - विदेशी उपग्रह		3,024.40
प्रमोचन सेवाएं - घरेलू		130.00
सुदूर संवेदन सेवाएं		138.00
		3,293.18
प्रचालनों से कुल राजस्व		**31,644.27**
कंपनी द्वारा कोई उत्पाद शुल्क नहीं लिया गया है, क्योंकि इसके उत्पादों एवं सेवाओं पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगा है।		

4.2 अन्य आय

[राशि: रु. लाख में]

विवरण	06-03-2019 से 31-03-2020 की वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि तक के आंकड़े
बैंकों में जमा पर ब्याज आय	**468.07**
आवेदन शुल्क की प्राप्ति	1.51
विदेशी मुद्रा में लेन देन पर निवल लाभ	45.29
	514.87

4.3 प्रचालनों से राजस्व की लागत

[राशि: रु. लाख में]

विवरण	06-03-2019 से 31-03-2020 की वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि तक के आंकड़े
क) सेवाओं की लागत	
i) निर्यात	
प्रमोचन सेवाएं	22,502.98
मिशन सहायता सेवाएं	29.99
वैकल्पिक सेवाएं	9.49
कुल (i)	**22,542.46**
ii) घरेलू	
प्रमोचन सेवाएं	104.00
अंतरिक्ष खंड प्रभार	2,238.74
सुदूर संवेदन सेवाएं	110.05
कुल (ii)	**2,452.79**
प्रचालनों से राजस्व की कुल लागत	**24,995.25**

4.4 कर्मचारी हितकारी व्यय

[राशि: रु. लाख में]

विवरण	06-03-2019 से 31-03-2020 की वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि तक के आंकड़े
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को पारिश्रमिक	41.58
निदेशक को पारिश्रमिक	46.74
अन्य को पारिश्रमिक	79.17
	167.49

4.5 मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय

[राशि: रु. लाख में]

विवरण	06-03-2019 से 31-03-2020 की वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि तक के आंकड़े
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास	9.85
मूर्त संपत्तियों का परिशोधन	0.30
	10.15

4.6 अन्य व्यय

[राशि: रु. लाख में]

विवरण	06-03-2019 से 31-03-2020 की वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि तक के आंकड़े
विज्ञापन एवं प्रचार	25.97
बैंक गारंटी एवं एल.सी. प्रभार	29.28
संचार प्रभार	0.83
परामर्शिता, विधि एवं व्यावसायिक प्रभार	15.50
लेखा परीक्षकों को भुगतान [नोक 4.6क का संदर्भ लें]	0.50
वित्त लागत	1.54
विदेशी विनिमय में उतार-चढ़ाव - अन्य	0.10
आय कर पर ब्याज	7.10
विविध व्यय	0.47
कार्यालय व्यय	12.07
मुद्रण एवं लेखन-सामग्री	2.88
दरें एवं कर	0.30
किराया प्रभार	0.89
पंजीकरण व्यय	1.07
संगोष्ठी, बैठक एवं कार्यक्रम व्यय	3.23
अभिदान प्रभार	4.13
प्रशिक्षण शुल्क	0.64
यात्रा एवं ठहरने का प्रभार	15.59
वेबसाइट अनुरक्षण	7.15
	129.24

4.6क लेखापरीक्षकों को भुगतान

[राशि: रु. लाख में]

विवरण	06-03-2019 से 31-03-2020 की वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि तक के आंकड़े
-लेखापरीक्षक के रूप में	0.50
	0.50

5 प्रति शेयर आय [ई.पी.एस.]

[राशि: रु. लाख में]

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि तक के आंकड़े
क) इक्विटी शेयर धारकों को होने वाला लाभ	5,129
ख) शेयरों की भारित औसत संख्या (सं.)	1,00,00,000
ग) प्रति शेयर अर्जन - मूल एवं विलयित (रु. में)	**51.29**
घ) प्रति शेयर नाम-मात्र मूल्य [रु. में]	**10**

अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा कंपनी के इक्विटी धारकों में बांटते हुए प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना की गई है।

इक्विटी शेयर की औसत संख्या द्वारा कंपनी के इक्विटी धारकों में निवल लाभ को बांटकर प्रति इक्विटी शेयर विलयित आय की गणना की गई है, जिसे प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना और इक्विटी शेयरों की औसत संख्या के लिए भी लिया गया है, जो सभी विलयन संभाव्य इक्विटी शेयरों के परिवर्तन पर जारी हुए होंगे। कंपनी में कोई संभावित विलयकारी प्रतिभूतियां नहीं थीं।

6 आस्थगित कर

[राशि: रु. लाख में]

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि तक के आंकड़े
आस्थगित कर परिसंपत्तियों वाली मदों पर कर प्रभाव	-
पी.पी.ई. के लेखा शेष तथा कर शेष के बीच अंतर पर	-
आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अस्थायी रूप से अस्वीकरण	-
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार आगे ले जाई गई अवशेषित हानि	-
	-
आस्थगित कर देयता वाली मदों पर कर प्रभाव	
पी.पी.ई. के लेखा शेष तथा कर शेष के बीच अंतर पर	1.08
	1.08
31 मार्च 2020 को आस्थगित कर परिसंपत्ति / (देयता)	**-1.08**
शुरुआती शेष आस्थगित कर परिसंपत्ति / (देयता)	
लाभ एवं हानि लेखा में मान्यता प्राप्त राशि	**-1.08**

**कर आस्थगन के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कर की दर 25.168% निर्धारित की गई है।*

आस्थगित कर देयता, संपत्ति के मूल्यह्रास, संयंत्र एवं उपकरण, अचल संपत्ति में कंपनी अधिनियम एवं आय कर अधिनियम के बीच अंतर के कारण बकाया है।

वित्तीय विवरणों के भाग बनने वाले अन्य नोट

7 आकस्मिक देयताएं एवं प्रतिबद्धताएं

[राशि: रु. लाख में]

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि तक के आंकड़े
i) **आकस्मिक देयताएं**	
(क) गारंटियां :	
(क) बैंक गारंटी	
- एस.टी. इलेक्ट्रॉनिक्स हेतु	6,003.60
- के.डब्ल्यू.डी.पी. हेतु	48.85
	6,052.45
(ख) कॉर्पोरेट कार्ड के लिए सुरक्षा की गारंटी	21.00
	6,073.45
ii) **प्रतिबद्धताएं**	
(क) संविदा की शेष अनुमानित राशि, जिसे पूंजी लेखा में दिखाना है न कि......... के लिए उपलब्ध कराना है::	कुछ नहीं
(ख) अन्य प्रतिबद्धताएं (विक्रय एवं सेवाओं हेतु संविदागत प्रतिबद्धताएं)	कुछ नहीं
	कुछ नहीं

8.1 **संबंधित पक्ष का प्रकटीकरण** :

क. न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है।

ख. कंपनी के कार्यदल को कार्यव्यवस्था के आधार पर इसरो से लिया गया है। ऐसे कार्यदल के वेतन के खर्च का वहन इसरो द्वारा किया जा रहा है, जिसकी प्रतिपूर्ति वास्तव में हुए खर्च के अनुसार की जाती है। सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में भुगतान का वहन इसरो द्वारा दिया जाता है।

ग. लेखा मानक 18 "संबंधित पक्ष के प्रकटीकरण" के अनुसार दिनांक 31.01.2020 से श्री नारायणन जी, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक तथा श्रीमती सुमा डी.आर. (31.01.2020 तक) और श्री राधाकृष्णन डी, निदेशक मुख्य प्रबंधन कार्मिक हैं। अवधि के दौरान ऐसे पक्षकारों के साथ उनके पारिश्रमिक की प्रतिपूर्ति और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को कर्मचारी लाभ के अलावा किसी प्रकार का कोई आदान-प्रदान नहीं हुआ है।

संबंधित पक्ष का नाम	संबंध
1) अंतरिक्ष विभाग	पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी
2) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन	अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहक एक स्कंध
3) मुख्य प्रबंधन कार्मिक	
क) श्री नारायणन जी.	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (31-01-2020 से)
ख) श्रीमती सुमा डी.आर.	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (06-03-2019 से 31-01-2020 तक)
ग) राधाकृष्णन डी.	निदेशक

ए.एस.-18 के अनुसार संबंधित प्रकटीकरण "संबंधित पक्ष के प्रकटीकरण" निम्नानुसार हैं

संबंधित पक्ष के साथ लेन-देन :

[राशि: रु. लाख में]

विवरण	**06-03-2019 से 31-03-2020 की वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि तक के आंकड़े**
अंतरिक्ष विभाग [अं.वि.]	
वर्ष के दौरान दी गई सेवाओं से राजस्व	-
वर्ष के दौरान सेवाओं पर खर्च की लागत	22,703.11
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन [इसरो]	
मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक	88.32
अन्य को पारिश्रमिक	79.17

संबंधित पक्ष को बकाया शेष

[राशि: रु. लाख में]

विवरण	**31.03.2020 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि तक के आंकड़े**
अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार को देय	7,713.89
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को देय	72.32

8.2 कंपनी के जिन ग्राहकों के साथ संविदा खत्म हो गई है या तुलन पत्र के तैयार होने के पूर्व देयताएं प्राप्त हो चुकी हैं, उनके अलावा इसके ग्राहकों द्वारा 31 मार्च 2020 को तुलन की पुष्टि की मांग की गई है और कुछ ग्राहकों द्वारा प्रक्रिया प्राप्त हुई है। प्रबंधन की राय में, शेष राशि की पुष्टि नहीं होने से लाभ एवं हानि लेखा पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।

दिनांक 31 मार्च 2020 को अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार द्वारा तुलन की पुष्टि प्राप्त नहीं की गई है। प्रबंधन की राय में एसी गैर-पुष्टि से वर्ष के लिए लाभ पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।

8.3 कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी गतिविधियों के संबंध में किए गए प्रावधान वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए कंपनी पर लागू नहीं हैं।

8.4 **प्रस्तावित लाभांश:**

[राशि: रु. लाख में]

विवरण	
(क) अवधि के लिए इक्विटी शेयरधारकों में बांटने के लिए प्रस्तावित लाभांश की राशि	रु. 1,540 लाख
(ख) प्रति शेयर लाभांश	रु. 15.40

8.5 भारत सरकार, कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय के दिनांक 04 सितंबर 2015 के अधिसूचना सं. 2437(ई) द्वारा निम्नलिखित पैरा के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III में लाभ एवं हानि लेखा तैयार करने के लिए सामान्य निर्देश जैसी अतिरिक्त सूचना के प्रकटीरण से छूट दी गई है :

5 (ii)(क)(1) मुख्य शीर्ष के तहत कच्चा माल ; 5(ii)(क)(2) मुख्य शीर्ष के अंतर्गत सामग्री क्रय ; 5(ii)(ङ); 5(iii) चालू-कार्य ; 5(viii)(क) (I) कच्चा माल II) घटक एवं अतिरिक्त पूर्जे (III) मूंजी सामग्री के संबंध में वित्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा सी.आई.एफ. पर आयात के मूल्य की गणना की गई है ;

5 (viii)(ख) रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी, व्यावसायिक एवं परामर्श शुल्क, ब्याज एवं अन्य मामलों में वित्त वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में किया गया व्यय;

5 (viii)(ग) आयात किए गए सभी कच्चे माल, वित्त वर्ष के दौरान उपभोग किए अतिरिक्त पुर्जों एवं घटक का कुल मूल्य तथा उसी प्रकार से उपयोग किए गए स्वदेशी कच्चे माल, अतिरिक्त पुर्जों एवं घटक का कुल मूल्य और प्रत्येक के कुल उपभोग का प्रतिशत ;

5 (viii)(ङ) विदेशी विनिमय में आय को निम्नलिखित शीर्ष, जैसे: I. एफ.ओ.बी. अधार पर निर्यात की गई सामग्री की गणना, II. रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी, व्यावसायिक एवं परामर्श शुल्क, III. ब्याज एवं लाभांश, IV. अन्य आय, उसकी प्रकृति दर्शाते हुए वर्गीकृत किया गया है।

8.6 वर्ष के दौरान, अनिवासी शेयरधारकों की कुल संख्या, उनके द्वारा धारित शेयरों की कुल संख्या जिसपर लाभांश देय है तथा वह वर्ष जिससे लाभांश संबंधित है, को विशेष रूप में दर्शाते हुए लाभांश के रूप में विदेशी मुद्रा में भेजी गई राशि : शून्य

8.7 वर्ष के अंत में मुद्रा का परिवर्तन निम्नानुसार है:

विवरण	वर्ष के अंत में मुद्रा परिवर्तन [रु. लाखो में]	नामे/जमा	लाभ एवं हानि का लेखा
बकाया देयताओं एवं परिसंपत्तियों के संबंध में	45.29	जमा	अन्य आय में जमा

8.8 कंपनी ने रु.48.85 लाख एवं 75,00,000 यूरो के समतुल्य रु. 6,003.60 लाख की राशि के लिए बैंक गारंटी के स्थान पर प्रतिभूति के रूप में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी रु.6,192.97 लाख की राशि का नियत जमा किया है। कंपनी ऐसे नियत जमा पर कार्ड दर से ब्याज अर्जित कर रही है। वर्तमान में, लेखा मानकों के अनुसार "प्रावधान" का कोई मामला नहीं है और तदनुसार प्रकटीकरण का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके अतिरिक्त, कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड के लिए गारंटी के रूप में रु. 21 लाख का नियत जमा आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड में किया गया है।

8.9 नियत परिसंपत्तियों के अलावा किसी परिसंपत्तियों के यथार्थ मूल्य और कारोबार के सामान्य प्रचालन में गैर-वर्तमान निवेश के बारे में बोर्ड की राय :

बोर्ड की राय है कि ऐसी परिसंपत्तियों का मूल्य कारोबार के सामान्य प्रचालन में प्राप्त किया गया मूल्य कम-से-कम लेखा में दर्शाए गए उनके मूल्य के बराबर होगा

8.10 लेखा मानक 26 के तहत प्रकटीकरण: अमूर्त परिसंपत्तियां

क	अमूर्त परिसंपत्तियों की श्रेणी	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर
ख	अमूर्त परिसंपत्तियों की प्रकृति	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, विकासाधीन सॉफ्टवेयर की खरीद
ग	उपयोगी लाइव या परिशोधन दर, जिसका उपयोग किया गया	उपयोग के लिए उपलब्ध सॉफ्टवेयर की खरीद की दिनांक से 3 वर्ष और विकासाधीन सॉफ्टवेयर के लिए स्वीकार करने की दिनांक से 5 वर्ष
घ	उपयोग की गई परिशोधन पद्धति	सीधी रेखा पद्धति
ङ	सकल रखाव राशि	रु. 14.03 लाख
च	संचित परिशोधन	रु. 0.30 लाख
छ	अवधि के शुरुआत में तथा अंत में संचित क्षतिपूर्ति हानियां	शून्य
ज	अवधि के शुरुआत में तथा अंत में घाटा पूर्ति राशि का समाधान	नोट 3.7 के अनुबंध में दर्शाए गए अनुसार
झ	आंतरिक विकास एवं एकीकरण द्वारा अलग से दर्शाए हुए जोड़	रु 6.48 लाख के सॉफ्टवेयर और रु. 7.55 लाख के विकासाधीन सॉफ्टवेयर आपूर्तिकर्ता से खरीदे गए
ञ	सेवानिवृत्त एवं निपटान	शून्य
ट	अवधि के दौरान लाभ एवं हानि लेखा में दिखाई गई क्षतिपूर्ण हानियां (यदि कोई हो)	शून्य
ठ	अवधि के दौरान लाभ एवं हानि लेखा में उत्क्रमित की गई हानियां (यदि कोई हो)	शून्य
ड	अवधि के दौरान पाया गया परिशोधन	रु. 0.30 लाख
ढ	वर्ष के दौरान स्थानांतरित राशि में कोई परिर्वतन	शून्य

8.11 कोविड-19 से उत्पन्न वैश्विक स्वास्थ्य महामारी के संबंध में अनिश्चितताओं का अनुमान

कोविड-19 के रूप में वैश्विक महामारी अपना प्रभाव वित्त वर्ष के अंत तक भारतीय भू-भाग में भी फैला रही है। इसकी प्रतिक्रिया में, सरकार ने कई उपाय, जैसे लॉकडाउन, जिसके साथ सफाई अभ्यास, सामाजिक दूरी, सामाजिक अभिवादन के नए मानदंड जारी किए हैं।

कंपनी भी लॉकडाउन में थी और तुलन पत्र दिनांक से कारोबार प्रचालन शुरू करने के लिए तैयार हो सकी। कंपनी बड़े निकट से तथा तगातार सामाजिक एवं आर्थिक विकास, तात्कालिक एवं दीर्घकालिक चुनौतियों को चिह्नित, वर्तमान स्थिति से उत्पन्न हुए अवसर एवं वृद्धि कारकों का मॉनीटरन कर रही है और प्रभावकारी प्रतिक्रिया योजना तथा रणनीति विकसित कर रही है।

कंपनी ने वित्त लेखा की समीक्षा इन परिवर्णनों को ध्यान में रखते हुए इस चरण में अत्यंत विशेष रूप से की है और निष्कर्ष निकाला है कि किसी भी परिसंपत्ति के मूल्य में कोई समायोजन करने की आवश्यकता नहीं है।

8.12 कंपनी के समावेशन के बाद तैयार किया गया यह प्रथम वित्त लेखा है। अत:, पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत में राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है।

8.13 आंकड़ों को निकटतम लाख तक पूर्णांक किया गया है।

कृते मेसर्स पाल एवं शानभोग
चार्टरित लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन सं. : 002528S

निदेशक बोर्ड के लिए एवं निदेशक बोर्ड की ओर से

हस्ता/-
के.आर. शानभोग
भागीदार
आई.सी.ए.आई. सदस्यता सं. 18578
बेंगलूरु
दिनांक: 08.10.2020

हस्ता/-
नारायणन गोपालकृष्णन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डी.आई.एन.: 08686600
बेंगलूरु
दिनांक: 08.10.2020

हस्ता/-
राधाकृष्णन दुरैराज
निदेशक
डी.आई.एन.: 08382973
बेंगलूरु
दिनांक: 08.10.2020

एनसिल ने अपने प्रचालनों के पहले वर्ष (2019-20) के दौरान 154% का लाभांश चुकाया
चित्र में सी.एम.डी. एवं निदेशक सचिव, अं.वि. को लाभांश रसीद देते हुए

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर नोट

[राशि: रु. लाख में]

3.6 मूर्त परिसंपत्तियाँ

विवरण	सकल खंड			मूल्यह्रास			31.03.20 को निवल रखाव राशि
	31.03.19 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	31.03.20 को	31.03.19 तक	वर्ष के लिए	31.03.20 तक	
इमारत							
इमारत - अस्थायी ढांचें	-	11.10	11.10	-	1.65	1.65	9.46
इमारत - वैद्युत प्रणालियाँ	-	0.13	0.13	-	0.01	0.01	0.12
इमारत - आंतरिक भाग	-	0.93	0.93	-	0.20	0.20	0.73
उप कुल	-	**12.17**	**12.17**	-	**1.85**	**1.85**	**10.31**
फर्नीचर एवं फिक्सचर	-	18.28	18.28	-	1.46	1.46	16.83
कंप्यूटर एवं पेरीफेरल	-	20.53	20.53	-	4.89	4.89	15.64
कार्यालय उपकरण	-	8.78	8.78	-	1.24	1.24	7.54
संचार प्रणालियां	-	2.24	2.24	-	0.42	0.42	1.82
मूर्त परिसंपत्तियाँ-कुल		**61.99**	**61.99**	-	**9.85**	**9.85**	**52.14**

3.7 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

विवरण	सकल खंड			परिशोधन			31.03.20 को निवल रखाव राशि
	31.03.19 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	31.03.20 को	31.03.19 तक	वर्ष के लिए	31.03.20 तक	
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (ओरेकल)	-	6.48	6.48	-	0.30	0.30	6.18
अमूर्त परिसंपत्तियाँ-कुल	-	**6.48**	**6.48**	-	**0.30**	**0.30**	**6.18**

3.8 विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

विवरण	सकल खंड			परिशोधन			31.03.20 को निवल रखाव राशि
	31.03.19 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	31.03.20 को	31.03.19 तक	वर्ष के लिए	31.03.20 तक	
सॉफ्टवेयर (ऑनलाइन ग्राहक पोर्टल हेतु)	-	7.55	7.55	-	-	-	7.55
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ-कुल	-	**7.55**	**7.55**	-	-	-	**7.55**

नोट:

1) व्यवसाय संगठनों तथा क्षतियों/उत्क्रमणों के जरिए कोई अधिग्रहण नहीं है।

2) 1 अप्रैल 2015 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्षों के बारे में वित्तीय विवरणों के लिए आवश्यक कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में किये संशोधन के अनुसार, इमारत हेतु वर्ष के दौरान घटक लेखा को कार्यान्वित किया गया है तथा ऐसे घटकों को इमारत शीर्ष के तहत प्रस्तुत किया गया है।

NSIL
एनसिल

न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनसिल)
(अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार के अधीन एक सी.पी.एस.ई.)
पंजीकृत कार्यालय: कक्ष सं. एफ.01, एच.एस.एफ.सी. भवन, इसरो मु., न्यू बी.ई.एल. रोड, बेंगलूरु - 560094
कॉर्पोरेट कार्यालय: इसरो मु. परिसर, न्यू बी.ई.एल. रोड, बेंगलूरु - 560094
फोन: +91 80 2217 2695 फैक्स: +91 80 2351 7222 ई-मेल: contact-nsil@isro.gov.in वेबसाइट: www.nsilindia.co.in
जी.एस.टी.आई.एन.: 29AAGCN4411P1Z1